

फेडमोबाइल - नियम और शर्तें

परिभाषाएँ

इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न दर्शाए:

“खाता(खाते)” का अर्थ है बैंक खाता और/या कोई अन्य प्रकार का खाता, जो ग्राहक द्वारा द फेडरल बैंक लिमिटेड या इसकी किसी भी सहयोगी कंपनी के साथ संचालित किया गया है, जिसके लिए सुविधा दी जा रही है या भविष्य में दी जा सकती है (प्रत्येक एक “खाता” और सामूहिक रूप से “खाते”)।

“ग्राहक” का अर्थ बैंक का ग्राहक या कोई भी व्यक्ति है जिसने बैंक के किसी भी उत्पाद/सेवा के लिए आवेदन किया है।

“बैंक” का अर्थ है द फेडरल बैंक लिमिटेड, एक बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत गठित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल में स्थित है।

“सुविधा या फेडमोबाइल” से तात्पर्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किया गया वह **डिजिटल बैंकिंग चैनल** है, जिसके माध्यम से ग्राहक **“FedMobile”** नामक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, **USSD, SMS-आधारित बैंकिंग** का उपयोग कर अपने खातों का संचालन कर सकते हैं तथा बैंक की सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा ग्राहकों को अनुमत बैंकिंग लेन-देन करने, अपने खाता/खातों से संबंधित जानकारी देखने, लेन-देन विवरण प्राप्त करने तथा समय-समय पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

“मोबाइल फोन नंबर” का अर्थ बैंक के रिकार्ड में ग्राहक द्वारा अंतिम बार अपडेट किया गया मोबाइल नंबर है, जिसका उपयोग ग्राहक द्वारा सुविधा के लिए पंजीकरण करने हेतु किया गया है।

“व्यक्तिगत जानकारी” का अर्थ उस जानकारी से है जो ग्राहक के संबंध में सुविधा के तहत प्राप्त की गई हो।

“वेबसाइट” का मतलब है <https://www.federal.bank.in>, <https://fedmobile.federal.bank.in>, या कोई अन्य वेबसाइट जिसे समय-समय पर बैंक द्वारा सूचित किया जा सकता है।

“एमपिन” का अर्थ मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पासवर्ड) होगा।

“अलर्ट” का अर्थ है वे कस्टमाइज्ड/अनुकूलित संदेश जो ग्राहक द्वारा भेजे गए ट्रिगर्स के जवाब में उसके मोबाइल फोन पर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस (“एसएमएस”) के रूप में भेजे जाते हैं।

“अलर्ट/पुश सुविधा” से तात्पर्य उस सेवा से है जो बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके तहत ग्राहक अपने मोबाइल फोन नंबर पर अपने खाता से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है।

“रिक्वेस्ट/पुल सुविधा” का अर्थ वह सुविधा है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने खातों के संबंध में “की वर्ड्स” एसएमएस/एन्क्रिप्टेड एसएमएस, जीपीआरएस, यूएसएसडी आदि के माध्यम से बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर पर भेजकर अनुरोध कर सकते हैं।

“ट्रिगर्स” का अर्थ वे अनुकूलित ट्रिगर्स हैं जिन्हें ग्राहक द्वारा बैंक के साथ सेट किया जाना आवश्यक है, जो बैंक को उसके खाते से संबंधित अलर्ट भेजने में सक्षम बनाएंगे।

“मोबाइल बैंकिंग मेनू” का अर्थ है वह मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन जिसे मोबाइल फोन हैंडसेट पर स्थापित किया जा सकता है, ताकि खाता(खातों) से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके, संबंधित मेनू विकल्पों का चयन करने के लिए अंक दर्ज करके।

“GPRS” का अर्थ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होगा।

“एम-कॉमर्स सुविधा” - इंटरनेट पर खरीदारी के लिए भुगतान/ फेड मोबाइल सुविधा के माध्यम से यूटिलिटी भुगतान की सुविधा।

“इन्वेंटरी” - न्युक्लियाई के पास उपलब्ध फ्लाइट सीटें, बस सीटें और होटल कमरों से संबंधित इन्वेंटरी, जो एप्लिकेशन के ट्रैवल मॉड्यूल में प्रदर्शित की जा रही है।

इस दस्तावेज़ में, 'ग्राहक' के संबंध में पुरुष लिंग में किए गए सभी संदर्भों में स्त्री लिंग भी शामिल माना जाएगा।

नियम एवं शर्तों की प्रयोज्यता

ये नियम और शर्तें, ग्राहक द्वारा किए गए आवेदन और बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के साथ मिलकर, ग्राहक और बैंक के बीच करार बनाएंगे, और यह आगे उन शर्तों के अधीन होंगे जिन पर बैंक अन्य सेवा प्रदाता/एजेंट के साथ सहमत हो सकता है। ये नियम और शर्तें टेलिबैंकिंग सुविधा, फेडनेट, एटीएम/डेबिट कार्ड सुविधा और ग्राहक के किसी भी खाता और/या बैंक तथा उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य उत्पाद/सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके विपरीत।

आवेदन

ग्राहक को सुविधा प्राप्त करने (और/या सुविधा के तहत उपलब्ध विकल्पों में किसी भी परिवर्तन के लिए) बैंक द्वारा निर्दिष्ट आवेदन पत्र में और/या बैंक द्वारा समय-समय पर सुविधा के उपयोग के लिए प्रदान की गई किसी अन्य विधि के माध्यम से बैंक में आवेदन करना होगा। बैंक, एकमात्र खाता धारक ग्राहकों को फेडनेट/एटीएम क्रेडेंशियल्स के प्रमाणीकरण के माध्यम से फेडमोबाइल एप्लिकेशन के जरिए सुविधा के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। सुविधा के लिए आवेदन केवल ग्राहक के प्रमाणीकरण के बाद ही स्वीकार किया जाएगा, प्रमाणीकरण का तरीका बैंक के विवेकानुसार तय किया जा सकता है।

पात्र ग्राहक

- सभी ग्राहक जिनका बचत खाता/चालू खाता संतोषजनक रूप से संचालित हो रहा है, वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
- सुविधा का उपयोग करने की इच्छा रखने वाला ग्राहक या तो एकमात्र खाता धारक होना चाहिए या स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत होना चाहिए।
- यह सुविधा संयुक्त खातों के मामले में तभी उपलब्ध होगी, जब संचालन का तरीका 'या तो कोई एक या उत्तरजीवी' या 'कोई भी या उत्तरजीवी' के रूप में दर्शाया गया हो। इन संयुक्त खातों के लिए, संयुक्त खाता धारकों में से केवल एक खाता धारक को ही सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति होगी। अन्य संयुक्त खाता धारक(धारकों) को इस व्यवस्था के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होना होगा और आवेदन पत्र पर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी ताकि ग्राहक को सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा सके। यदि किसी भी संयुक्त खाता धारक द्वारा “भुगतान रोकें” निर्देश या ऐसे अन्य निर्देश जो सुविधा के माध्यम से संचालन को सीमित, नियंत्रित, प्रतिबंधित, निलंबित या रोकने के उद्देश्य से लिखित रूप में दिए जाते हैं, ताकि अन्य खाता धारकों द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए किसी भी खाते पर सुविधा के माध्यम से संचालन को रोक जा सके, तो सुविधा को बंद कर दिया जाएगा और सुविधा की पुनः स्थापना केवल सभी खाता धारकों के संयुक्त अनुरोध पर, बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर विचार किया जाएगा। सुविधा के उपयोग से संयुक्त खाते में उत्पन्न होने वाले सभी या कोई भी लेन-देन सभी संयुक्त खाता धारकों पर संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होंगे।
- “नाबालिग के नाम पर खाता या वह खाता जिसमें संयुक्त खाता धारकों में से कोई एक नाबालिग है या वह खाता जिसमें संचालन का तरीका संयुक्त है, ऐसी सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।”
- सुविधा की सक्रियण प्रक्रिया बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाएगी। ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर वाले मोबाइल डिवाइस से दो एसएमएस बैंक के एप्लिकेशन सर्वर पर सत्यापन हेतु भेजे जाएंगे। ग्राहक संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा वसूले गए एसएमएस के लिए लागत वहन करेगा।
- 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई नाबालिग ग्राहक, जो बैंक के साथ एकल परिचालन मोड में बचत खाता बनाए हुए है, इस सुविधा के लिए पात्र होगा।

- जिस खाता में संयुक्त खाता धारकों में से कोई एक नाबालिग है या ऐसा खाता जिसमें संचालन का तरीका संयुक्त है, वह सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रयोज्यता

- बैंक के रिकार्ड में अंतिम बार अपडेट किया गया मोबाइल नंबर इस सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा। ग्राहक सहमत है कि वह सुविधा का उपयोग केवल उसी मोबाइल फोन पर करेगा, जो उसके नाम पर मोबाइल सेवा प्रदाता के साथ सही और वैध रूप से पंजीकृत है, और यह भी स्वीकार करता है कि वह सुविधा का उपयोग केवल उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से करेगा, जिसका उपयोग सुविधा के लिए पंजीकरण करने में किया गया है।
- वर्तमान में, एक ही खाता के लिए दो मोबाइल नंबरों पर मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- एक ही ग्राहक आईडी से जुड़े सभी खाता(खाते) इस सुविधा के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक का मुख्य बचत खाता / चालू खाता इस सुविधा का प्राथमिक खाता होगा।
- बैंक को बिना कोई कारण बताए ग्राहक के सुविधा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- गलत एमपिन तीन बार दर्ज करने पर उस दिन के लिए खाता की सुविधा ब्लॉक हो जाएगी और ऐसी तीन लगातार ब्लॉक होने पर ग्राहक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा ग्राहक को उसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुविधा के लिए दोबारा पंजीकरण करना होगा।
- ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वह बैंक को अपने मोबाइल फोन नंबर या ईमेल पता या खाता विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना दे। बैंक ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर/ईमेल पता/फैक्स नंबर, जो कि बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है, पर अलर्ट या अन्य जानकारी भेजने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- सुरक्षित रहें। फिशिंग ईमेल/एसएमएस से सावधान रहें। Never share your ATM card details/PINs/OTPs/Passwords with anyone. सुरक्षित रहें! फिशिंग ईमेल / एसएमएस से सावधान रहें! कभी भी अपने एटीएम कार्ड का विवरण / पिन / ओटीपी / पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുക! ഫിഷിംഗ് ഇമെയിലുകൾ / എസ് എം എസ്
എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് വിവരങ്ങൾ / പിൻ / ഒ ടി
പി / പാസ് വേഡുകൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്.

उपलब्धता और प्रकटीकरण

बैंक समय-समय पर अपने विवेकानुसार, सुविधा के माध्यम से ग्राहक को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा। बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि प्रत्येक खाते पर ग्राहक को कौन-कौन सी सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, और ऐसी पेशकशें एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक में भिन्न हो सकती हैं। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सुविधा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में जोड़ या हटाव भी कर सकता है। सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर, केवल बैंक के विवेकाधिकार पर उपलब्ध कराई जाती है और बैंक द्वारा कभी भी, बिना किसी सूचना के, बंद की जा सकती है। बैंक को लागू कानूनों के अधीन अनिवासी भारतीयों को सुविधा प्रदान करने का विवेकाधिकार होगा। ग्राहक के निर्देश केवल ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर की सत्यापन और/या बैंक द्वारा ग्राहक को आवंटित एमपिन/पासवर्ड की सत्यापन अथवा बैंक के विवेकानुसार निर्धारित किसी अन्य सत्यापन विधि के माध्यम से ग्राहक की प्रमाणीकरण के बाद ही प्रभावी होंगे।

सहायता एवं समर्थन

FedMobile एप्लिकेशन में ग्राहकों को ऐप एवं उसकी सुविधाओं के उपयोग से संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित **सहायता एवं समर्थन** अनुभाग उपलब्ध है। इस अनुभाग के माध्यम से ग्राहक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) देख सकते हैं, इन-ऐप समर्थन विकल्प के माध्यम से आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर सेवा अनुरोध या प्रश्न दर्ज कर सकते हैं, तथा बैंक की ग्राहक सेवा टीम से सीधे संपर्क करने के लिए **“Call Us”** विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सेवा अनुरोधों का निपटान बैंक के ग्राहक सहायता अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और बैंक की आंतरिक सेवा समय-सीमा के अनुसार उत्तर दिया जाएगा। ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अथवा

FedMobile एप्लिकेशन में अधिसूचित अन्य सहायता एवं शिकायत निवारण माध्यमों के माध्यम से भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

उपयोगकर्ता यह समझता और स्वीकार करता है कि यदि सुविधा (Facility) से संबंधित कोई भी शिकायत हो, तो वह बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा ले सकता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

चरण 1	<p>a) 24x7 फोन सहायता: टोल-फ्री नंबर 1800-425-1199 पर कॉल करें</p> <p>b) ई-मेल: contact@federal.bank.in पर लिखें</p> <p>c) FedMobile: होम स्क्रीन >> हैमबर्गर मेनू >> सहायता एवं समर्थन</p> <p>d) शाखा: द फेडरल बैंक लिमिटेड की किसी भी शाखा के माध्यम से</p>
चरण 2	<p>यदि समाधान से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया नोडल अधिकारी से संपर्क करें।</p> <p>ई-मेल: grievanceescalations@federalbank.co.in</p> <p>नाम: निखिल ए, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - नोडल अधिकारी द फेडरल बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, म्युनिसिपल बिल्डिंग, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत - 683101</p> <p>फोन: 0484-2866511</p>
चरण 3	<p>यदि आपकी शिकायत का उचित समाधान नहीं हुआ है अथवा समाधान में विलंब हुआ है, तो कृपया हमारे प्रधान नोडल अधिकारी से संपर्क करें:</p> <p>ई-मेल: support@federalbank.co.in</p> <p>नाम: बिजू के, एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट - प्रधान नोडल अधिकारी द फेडरल बैंक लिमिटेड, फेडरल टावर्स, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत - 683101</p> <p>फोन: 0484-2866521</p>
चरण 4	<p>यदि आप अब भी अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि शिकायत निवारण का प्रथम बिंदु स्वयं बैंक है। शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल के माध्यम से निम्न लिंक पर संपर्क कर सकते हैं:</p> <p>https://cms.rbi.org.in/</p> <p>अथवा निम्न पते पर CRPC को लिख सकते हैं:</p> <p>रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा तल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017</p> <p>RBI संपर्क केंद्र: 14448</p>

निर्देश

सुविधा के अंतर्गत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी निर्देश बैंक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जहाँ बैंक को निर्देश असंगत या परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, वहाँ बैंक ग्राहक के किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने से पहले ग्राहक से स्पष्टीकरण मांग सकता है या ऐसे किसी भी निर्देश पर अपनी विवेकानुसार कार्रवाई कर सकता है। ग्राहक और बैंक को यह अधिकार होगा कि वे सुविधा के अंतर्गत सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं, यदि बैंक को यह विश्वास करने का कारण है कि ग्राहक के निर्देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि हो सकती है या सुविधा का संचालन जारी रखने से पहले ग्राहक से क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक स्वीकार करता है कि सभी जानकारी/निर्देश विभिन्न स्थानों पर प्रेषित और/या संग्रहीत किए जाएंगे तथा बैंक (और इसकी सहयोगी कंपनियों) के कर्मचारियों द्वारा एक्सेस किए जाएंगे। बैंक को ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी या विवरण को तीसरे पक्ष को प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि सुविधा प्रदान करने में सहायता मिल सके और किसी भी निर्देश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसा किया जा सके। ग्राहक स्वीकार करता है कि प्रत्येक अलर्ट में ग्राहक से संबंधित कुछ खाता जानकारी हो सकती है। ग्राहक बैंक को अधिकृत करता है कि यदि बैंक को यह उपयुक्त लगे तो, भले ही विशेष रूप से अनुरोध न किया गया हो, खाता संबंधी जानकारी भेज सकता है। बैंक सुविधा के माध्यम से भेजी जा रही व्यक्तिगत या खाता जानकारी की गोपनीयता, रहस्य और संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अल्पवयस्क/नाबालिग खाता धारकों द्वारा सुविधा का उपयोग

- 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई अवयस्क ग्राहक, जो बैंक में एकल संचालन मोड के तहत FedFirst बचत खाता बनाए हुए है, इस सुविधा के लिए पात्र होगा।
- खाते के लिए प्रयुक्त नाबालिग ग्राहक का मोबाइल नंबर अद्वितीय होना चाहिए और वह किसी अन्य ग्राहक आईडी में उपलब्ध नहीं होना चाहिए तथा नाबालिग ग्राहक हमेशा खाते का एकमात्र संचालक रहेगा। यदि सुविधा को सक्रिय करने के बाद मोबाइल नंबर किसी अन्य ग्राहक आईडी में जोड़ा जाता है, तो नाबालिग ग्राहक के लिए यह सुविधा स्वतः अक्षम हो जाएगी।
- यह सुविधा नाबालिग ग्राहक द्वारा खाते के लिए जारी डेबिट कार्ड के माध्यम से सक्रिय की जा सकती है, बशर्ते सक्रियण से संबंधित सभी अन्य शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट की गई हों।
- ऐसे खातों के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन की सीमा रु.2,500/- (केवल दो हज़ार पाँच सौ रुपये) होगी, और इसकी प्रतिदिन की अधिकतम सीमा रु.10,000/- (केवल दस हज़ार रुपये) होगी। इन सीमाओं को बैंक अपनी पूर्ण विवेकाधिकार से कभी भी संशोधित कर सकता है और इस संबंध में एक सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- अवयस्क ग्राहकों को ऋण अनुरोध/ऋण आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- बैंक सुविधा के अंतर्गत नाबालिग ग्राहकों द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में सभी वारंटी और/या गारंटी से इनकार करता है और नाबालिग ग्राहक सुविधा के अंतर्गत की गई किसी भी/सभी लेनदेन के लिए पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।

फंड ट्रांसफर सुविधा

बैंक, समय-समय पर, बैंक की वेबसाइट के माध्यम से उपर्युक्त सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा हस्तांतरण/ट्रांसफर की जा सकने वाली अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करेगा। यदि उपरोक्त उल्लेखित सुविधा ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका उपयोग खाते/खातों से धन के हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है – चाहे वे खाते उसी ग्राहक के अन्य खाते हों या बैंक में तथा/या किसी अन्य बैंक में रखे गए किसी तीसरे पक्ष के खाते हों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नेटवर्क के अंतर्गत आते हों। ऐसी स्थिति में, इस सुविधा के अतिरिक्त उन सुविधाओं पर लागू शर्तें भी लागू होंगी। बैंक का दायित्व केवल ग्राहक के खाते में डेबिट होने के बाद ही आरंभ होगा। सुविधा के अंतर्गत निधि हस्तांतरण में तात्कालिक तथा अनुसूचित दोनों प्रकार के हस्तांतरण शामिल होंगे।

बैंक अपने एकमात्र विवेकानुसार फेडमोबाईल सुविधा का उपयोग कर रहे अपने ग्राहकों को यह विकल्प प्रदान कर सकता है कि वे फेडमोबाईल सुविधा का उपयोग कर रहे अपने संपर्कों से पैसे का अनुरोध कर सकें या उन्हें पैसे भेज सकें। इस प्रकार, फेडमोबाईल सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहक के पास यह जानकारी होगी कि क्या उसके किसी संपर्क द्वारा फेडमोबाईल सुविधा का उपयोग किया जा रहा है और इसके विपरीत। ग्राहक तदनुसार सहमत है और बैंक को अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति (जो फेडमोबाईल सुविधा का उपयोग कर रहा हो), जिसने ग्राहक को अपने संपर्क के रूप में जोड़ा है, को यह जानकारी प्रकट कर सके कि ग्राहक फेडमोबाईल सुविधा का उपयोगकर्ता है।

लेन-देन का प्रकार	नए पंजीकृत उपयोगकर्ता (फेडमोबाईल पंजीकरण की तिथि से शुरू होने वाले पहले 90 दिनों के लिए)	सामान्य सीमा (पंजीकरण के 90 दिनों के बाद की सामान्य सीमा)
सभी उपयोगकर्ता (नई)	प्रथम बार पंजीकरण के बाद पहले 24 घंटों के लिए रु.5000/-।	

लेन-देन का प्रकार	नए पंजीकृत उपयोगकर्ता (फ़ेडमोबाइल पंजीकरण की तिथि से शुरू होने वाले पहले 90 दिनों के लिए)	सामान्य सीमा (पंजीकरण के 90 दिनों के बाद की सामान्य सीमा)
पंजीकरण सीमा)		
मोबाइल बैंकिंग सीमा (सामान्य उपयोगकर्ता)	रु.5 लाख प्रति दिन, 7 दिनों के लिए रु.10 लाख की संचयी सीमा	रु.10 लाख/दिन (संचयी)
मोबाइल बैंकिंग लेन-देन सीमा (सेलेस्टा उपयोगकर्ता)	रु.10 लाख/दिन (संचयी) रु.20 लाख/दिन (संचयी) तक बढ़ाने का विकल्प	रु.10 लाख/दिन (संचयी) – रु.20 लाख/दिन तक बढ़ाने का विकल्प
त्वरित भुगतान सीमा	रु.50,000/दिन, 7 दिनों के लिए रु.2 लाख की संचयी सीमा	रु.1 लाख/दिन
व्यापारी भुगतान सीमा	रु.1 लाख/दिन	रु.2 लाख/दिन (रु.5 लाख/दिन तक बढ़ाने का प्रावधान)
स्व-खाता हस्तांतरण	रु.20 लाख/दिन (संचयी) – अलग एवं विशेष सीमा	रु.20 लाख/दिन संचयी (मोबाइल बैंकिंग सीमा से स्वतंत्र विशेष सीमा)
क्रेडिट कार्ड भुगतान	रु.10 लाख/दिन (मोबाइल बैंकिंग सीमा के अंतर्गत संचयी सीमा)	रु.10 लाख/दिन
म्यूचुअल फंड खरीद	रु.10 लाख/दिन (मोबाइल बैंकिंग सीमा के तहत संचयी सीमा)	रु.10 लाख/दिन

नोट: कुछ प्रकार के खातों के लिए, आंतरिक मापदंडों के आधार पर कम सीमाएँ लागू हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ऐप के भीतर सीमा प्रबंधन मॉड्यूल देखें। इसके अतिरिक्त, कुछ योजनाओं को इस सीमा से बाहर रखा गया है। बहिष्कृत योजनाएँ हैं:

- सभी गैर-निवासी योजनाएँ – दोनों एनआरई (NRE) और एनआरओ (NRO)

- सेलेस्टा, इम्पेरियो, फेड सैलरी और फेड सैलरी प्रीमियम, गवर्न, गवर्न प्राइम और एस्टिम योजनाएँ।

एम-कॉमर्स सुविधा

बैंक मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से बिल भुगतान सुविधा/एम-कॉमर्स सुविधा शुरू कर सकता है, जिसका लाभ ग्राहक पंजीकरण कराने के बाद उठा सकते हैं। बैंक, सेवा प्रदाता/विक्रेता से ग्राहक को सेवाओं की आपूर्ति या वस्तुओं की खरीद में किसी भी प्रकार की डिस्कनेक्शन या बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ग्राहक को प्रदान की जा रही सेवा में किसी भी प्रकार की कटौती/विच्छेद का अनुभव हो या की गई खरीद के संबंध में कोई शिकायत हो, तो ग्राहक को सेवा प्रदाता/विक्रेता से संपर्क करना आवश्यक है। बैंक किसी भी समय, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, स्वीकृत व्यापारी प्रतिष्ठानों/पेयी सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता/एजेंट) की सूची में बिना किसी कारण बताए परिवर्तन कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिये बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।

फेडमोबाइल - नियम और शर्तें

नियम और शर्तें - डिपॉजिट (जमा राशि) और 15G/H

फेडमोबाइल के माध्यम से निवासी और एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट खोलने के लिए सामान्य निर्देश और नियम और शर्तें।

- केवल एनआरई (NRE) और निवासी टर्म डिपॉजिट ऑनलाइन खोले जा सकते हैं।
- डेबिट खाता एक बचत खाता, चालू खाता या ओवरड्राफ्ट खाता होना चाहिए।
- डिपॉजिट केवल डेबिट खाते के प्राथमिक खाता धारक के नाम पर ही खोली जा सकती है।
- शाम 7 बजे के बाद प्राप्त ऑनलाइन अनुरोधों को संभवतः अगले कार्य दिवस की प्रभावी तिथि के साथ खोले जाएंगे।
- किसी बैंक अवकाश पर फेडमोबाइल के माध्यम से किए गए सभी फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) लेन-देन केवल अगले कार्यदिवस पर ही संसाधित किए जाएंगे।

योजना

- एफएसएफ (FSF) - मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक: रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) जहाँ मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आवृत्ति उन आवर्ती किस्तों के भुगतान की आवृत्ति को दर्शाती है।
- नकद प्रमाणपत्र: टर्म डिपॉजिट जिसमें ब्याज तिमाही रूप से चक्रित किया जाता है और परिपक्वता पर पुनर्निवेश किया जाता है। यह उन डिपॉजिट (जमा) करने वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो हर महीने/तिमाही आदि पर ब्याज भुगतान की आवश्यकता नहीं रखते।
- फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) - मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक/परिपक्वता पर ब्याज: डिपॉजिट (जमा) योजना जिसमें ब्याज मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक/परिपक्वता पर भुगतान किया जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट कि परिपक्वता पर ब्याज को छोड़कर, ब्याज डिपॉजिट की चुनी गई आवृत्ति के अनुसार उस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा जिससे डिपॉजिट वित्तपोषित/जमा की गई थी।

डिपॉजिट (जमा) राशि

- एफएसएफ (FSF) के लिए न्यूनतम राशि: रु.50/- और रु.10/- के गुणक में
- कैश सर्टिफिकेट और फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) के लिए न्यूनतम जमा राशि: रु.1000/-

अवधि

रेजिडेंट एफएसएफ (FSF): एफएसएफ-मासिक के लिए, न्यूनतम अवधि 6 महीने है।

अन्य सभी मामलों में, न्यूनतम अवधि किस्तों की आवृत्ति की 3 गुना होगी, यानी रेजिडेंट एफएसएफ-कार्टरली के लिए न्यूनतम अवधि 9 महीने होनी चाहिए। इसी प्रकार, रेजिडेंट एफएसएफ हाफ ईयरली के लिए न्यूनतम अवधि 18 महीने होनी चाहिए।

एनआरई (NRE) एफएसएफ (FSF): मासिक एवं मिलियनेयर एफएसएफ के लिए न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है। अन्य सभी मामलों में, न्यूनतम अवधि किस्तों की आवृत्ति के 3 गुना होगी, परंतु न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी; अर्थात् एनआरई (NRE) एफएसएफ - त्रैमासिक के लिए, न्यूनतम अवधि 12 महीने होनी चाहिए। इसी प्रकार, एनआरई (NRE) एफएसएफ हाफ-इयरली के लिए, न्यूनतम अवधि 18 महीने होनी चाहिए।

रेजिडेंट कैश सर्टिफिकेट: न्यूनतम अवधि - 6 महीने।

एनआरई (NRE) कैश सर्टिफिकेट: न्यूनतम 1 वर्ष

रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट समूह: न्यूनतम अवधि - 7 दिन।

एनआरई (NRE) फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) समूह: न्यूनतम अवधि 1 वर्ष।

अधिकतम अवधि सभी मामलों में 10 वर्ष (120 महीने) होगी।

रेजिडेंट डिपॉजिट में वरिष्ठ नागरिक/स्टाफ के लिए ब्याज दरें

- यदि डेबिट खाते का प्राथमिक खाता धारक वरिष्ठ नागरिक है, तो टर्म डिपॉजिट वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू ब्याज दर पर खोला जाएगा।
- यदि प्राथमिक खाता धारक स्टाफ है, तो टर्म डिपॉजिट स्टाफ के लिए लागू ब्याज दर पर खोला जाएगा।
- हालाँकि, वर्तमान में टर्म डिपॉजिट/एफएसएफ को कर्मचारियों व वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन स्टाफ) के लिए अतिरिक्त ब्याज दर के साथ खोला नहीं जा सकता। इस स्थिति में उसे शाखा में इसके लिए आवेदन करना होगा।
- एनआरई (NRE) जमा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त लाभ लागू नहीं है।

फेडमोबाइल के माध्यम से रिकरिंग डिपॉजिट (आवर्ती जमा) की किस्त अनुसूचित करना

- 14/03/2025 (14 मार्च, 2025) या उसके बाद खुले रिकरिंग डिपॉजिट (आवर्ती जमा) के लिए, भुगतान निर्देश को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (SI) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। यदि 14/03/2025 (14 मार्च, 2025) से पहले खोले गए रिकरिंग डिपॉजिट (आवर्ती जमा) की स्थिति में, भुगतान निर्देश शेड्यूल पेमेंट के रूप में पंजीकृत किया गया था और यह उसी मोड में जारी रहेगा जब तक शेड्यूल पेमेंट अवधि समाप्त न हो जाए या डिपॉजिट (जमा) बंद करना हो, जो भी पहले हो।
- ग्राहक रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) खोलते समय निष्पादन तिथि चुनकर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए पंजीकरण कर सकता है। भुगतान का तरीका केवल चुने गए डेबिट खाते से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- यदि एसआई की निष्पादन तिथि बैंक की छुट्टी पर पड़ती है, तो एसआई अगले कार्य दिवस पर निष्पादित किया जाएगा।
- यदि निर्धारित तिथि पर एसआई का निष्पादन विफल रहता है, तो बैंक अगले तीन कार्यदिवसों के दौरान एसआई द्वारा डेबिट करने के लिए पुनः प्रयास करेगा।
- स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का निष्पादन समय निष्पादन तिथि के दिन की शुरुआत (बीओडी) होगा। एसआई के सुचारू क्रियान्वयन हेतु, हम ग्राहक से अनुरोध करते हैं कि निष्पादन तिथि से एक दिन पहले के दिन के अंत तक अपने खाते में पर्याप्त शेष रखें।

- यदि ग्राहक बाद की एसआई निष्पादन तिथि(ओं) बदलना चाहते हैं, तो वे उस शाखा में जाकर ऐसा कर सकते हैं जहाँ डेबिट खाता रखा गया है।

14/03/2025 (14 मार्च, 2025) से पहले खोले गए रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) के लिए

- अनुसूचित भुगतान निष्पादन तिथि पर दिन की शुरुआत (बीओडी) में निष्पादित किया जाएगा।
- यदि शेड्यूल पेमेंट का निष्पादन निर्धारित तिथि पर विफल होता है, तो विफलता का कारण पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा और बैंक द्वारा शेड्यूल पेमेंट के माध्यम से डेबिट को संसाधित करने के लिये कोई स्वचालित पुनःप्रयास नहीं किये जायेंगे। ऐसे मामलों में, असफल निष्पादन तिथि के भुगतान को मैनुअल रूप से पूरा करना आवश्यक है।

डिपॉजिट (जमा) रसीद / पासबुक

सामान्यतः ऐप के माध्यम से खोले गए टर्म डिपॉजिट/एफएसएफ के लिए भौतिक डिपॉजिट (जमा) रसीद/पासबुक जारी नहीं की जाती। हालाँकि, कोई भी ग्राहक जो डिपॉजिट (जमा) रसीद प्राप्त करना चाहता है, वह इसी के लिए अपनी शाखा से संपर्क कर सकता है।

ऑनलाइन खोले गए रेजिडेंट टर्म डिपॉजिट/एनआरई (NRE) जमा का बंद करना

किसी भी चैनल के माध्यम से खोले गए सभी डिपॉजिट (जमा राशि) पात्रता मानदंड के आधार पर फेडमोबाईल के माध्यम से बंद किए जा सकते हैं।

1. डिपॉजिट (जमा) का ऑपरेशन मोड सिंगल/E या S/A या S/फॉर S होना चाहिए।
2. डिपॉजिट (जमा) धारक वह फेडमोबाईल ग्राहक होना चाहिए जिसके पास लेन-देन की सुविधा हो।
3. डिपॉजिट (जमा) पर किसी भी लियन मार्क की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए।
4. फेडमोबाईल के माध्यम से विशेष डिपॉजिट (जमा) योजनाएँ बंद नहीं की जा सकतीं।

डिपॉजिट (जमा राशि) की रिन्यूअल

- योग्य योजनाओं में फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) परिपक्वता पर समान अवधि के लिए और उन्हीं नियम और शर्तों पर स्वतः रिन्यूअल हो जाएंगे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो (ब्याज दर को छोड़कर)। इस प्रकार रिन्यू की गई डिपॉजिट (जमा) पर देय ब्याज दर रिन्यूअल की तिथि पर प्रचलित ब्याज दर होगी।
- रिन्यूअल निर्देश सभी पात्र स्कीमों के लिए डिफॉल्ट रूप से ऑटो रिन्यूअल मोड में होगा। फेडमोबाईल एप्लिकेशन डिपॉजिट (जमा) धारकों को परिपक्वता के 30 दिन पहले से रिन्यूअल मैन्डेट की समीक्षा करने का विकल्प प्रदान करेगा।

ब्याज दर

टर्म डिपॉजिट पर लागू ब्याज दर, टर्म डिपॉजिट खोलने की तिथि के अनुसार प्रचलित ब्याज दर होगी।

फेडरल कर बचत जमा

कर बचत जमा की अवधि डिपॉजिट (जमा) खोलने की तिथि से आरंभ होकर पाँच वर्ष है और समय-पूर्व निकासी की अनुमति नहीं है। कर बचत जमा/डिपॉजिट (जमा) प्लस खातों पर ऑटो रिन्यू/रिन्यूअल सुविधा उपलब्ध नहीं है और परिपक्वता पर प्राप्त राशि परिचालन खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

समय-पूर्व बंद करना

- रेजिडेंट/एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट / एफएसएफ के समय-पूर्व समापन पर देय ब्याज उस अवधि के लिए जमा खोलने की तारीख पर लागू डिपॉजिट (जमा) दर होगी, जिसके लिए जमा बैंक के पास रहा। एनआरई (NRE)

जमा की समय-पूर्व निकासी पर यदि वह 1 वर्ष पूरा होने से पहले की गई हो तो कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।

- यदि एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट 1 वर्ष पूरा होने से पहले बंद कर दिया जाता है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। समय-पूर्व भुगतान पर पेनल्टी चार्ज उन एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट पर लागू नहीं है जिन्हें 1 वर्ष पूरा होने से पहले बंद किया गया हो।
- 21.10.2022 से प्रभावी रूप में खुले/रिन्यू किए गए रु.2 करोड़ से कम के सिंगल रूपे टर्म डिपॉजिट की समय-पूर्व निकासी पर पेनल्टी की संरचना निम्नानुसार है:

डिपॉजिट (जमा) की अवधि*	पेनल्टी ब्याज	
	रु. 2 करोड़ से कम का एकल डिपॉजिट (जमा)	एकल डिपॉजिट (जमा) रु. 2 करोड़ या उससे अधिक
15 दिनों तक (सहित)	0%	1%
15 दिनों से अधिक से लेकर 90 दिनों तक	1%	1%
90 दिनों से अधिक	1%	1%

- * बैंक के साथ डिपॉजिट (जमा) बनाए रखने की अवधि, चाहे करारित अवधि कुछ भी हो।
- संशोधित दंडात्मक संरचना सभी रुपये में जमा की गई रेजिडेंट टर्म डिपॉजिट (डोमेस्टिक/ ONR) पर लागू होगी। एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट, जिन्हें न्यूनतम अवधि 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय-पूर्व निकाला जाता है, उन पर 1% का पेनल्टी चार्ज भी लागू होगा। समय-पूर्व निकासी के लिए पेनल्टी चार्ज केवल तभी लागू होगा जब डिपॉजिट (जमा) ने ब्याज के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो। ध्यान दें कि उपर्युक्त संशोधन सभी रुपये टर्म डिपॉजिट योजनाओं पर लागू होगा, सिवाय बेस्पोक सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम के।
- हालाँकि, स्मार्ट डिपॉजिट स्कीम के लिए पेनल्टी ब्याज दर संरचना निम्नानुसार बनी रहेगी:

डिपॉजिट (जमा) की अवधि	दंडात्मक ब्याज
90 दिनों तक (समेत)	0%
90 दिनों से अधिक	1%

- रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) चार्ज: यदि किस्त नियत तिथि और 10 दिनों की छूट अवधि के भीतर अदा न की गई हो, तो रु. 1 प्रति रु. 100 प्रति माह, न्यूनतम रु. 10 लागू।
- रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) को खोलने के 1 वर्ष के भीतर समय-पूर्व बंद करने पर शुल्क रु. 150 है (एनआरआई के लिए निःशुल्क)

बैंक अपने विवेकानुसार अपने निवासी ग्राहकों [यानी व्यक्ति (जिसमें वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं) जो भारत में निवासी हैं और जिन्होंने बैंक की फेडमोबाईल मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ ("फेडमोबाईल") ली हैं]] को ("सुविधा") प्रदान कर सकता है, ताकि वे फेडमोबाईल के माध्यम से लागू होने पर फार्म 15G / फार्म 15H जमा करके किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्राहकों द्वारा बैंक के साथ रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) ("डिपॉजिट (जमा राशि)") पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कटौती किया गया कर (TDS) से छूट प्राप्त कर सकें। ग्राहक सुविधा का लाभ लेते समय इन शर्तों के पालन के लिए बाध्य होंगे।

फार्म 15G / फार्म 15H प्रस्तुत करने से पहले ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए ग्राहक की अनुमानित कुल आय, जिसमें डिपॉजिट (जमा राशि) पर अर्जित अनुमानित आय शामिल है, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्त अधिनियम द्वारा आयकर के लिए निर्दिष्ट मूल छूट सीमा के बराबर या उससे कम हो।

ग्राहक नीचे प्रदान किए गए प्रक्रिया प्रवाह का पालन करेगा

फार्म 15G / फार्म 15H (जैसा लागू हो) की प्रस्तुति फेडमोबाईल के माध्यम से.

- ग्राहक अपने एमपिन का उपयोग करके फेडमोबाईल में लॉग इन करता है।
- ग्राहक FedMobile -> More -> 15G/H Registration से '15G/H' विकल्प का चयन करता है।
- ग्राहक फील्ड में निम्नलिखित विवरण दर्ज करते हैं:
- पैन कार्ड नंबर (वैकल्पिक फ़ील्ड)।
- PAN कार्ड के अनुसार जन्म तिथि (वैकल्पिक क्षेत्र)।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम वर्ष - इस फ़ील्ड के अंतर्गत, ग्राहक प्रदर्शित ड्रॉप-डाउन बॉक्स में से लागू विकल्प का चयन करेगा।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय।
- ग्राहक नियम और शर्तें स्वीकार करेगा और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेगा।
- बैंक द्वारा निर्धारित सत्यापनों के एक सेट को ग्राहक द्वारा दर्ज किए गए विवरणों की जाँच के लिए लागू किया जाएगा।
- यदि सत्यापन सफल होते हैं, तो निम्नलिखित विवरणों सहित एक पुष्टि पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा:
- फार्म प्रकार (फार्म 15G / फार्म 15H)
- पैन नंबर
- जन्म तिथि
- अनुमानित आय
- ग्राहक विवरणों की पुष्टि करेगा और इसके बाद फेडमोबाईल एमपिन (मोबाइल बैंकिंग पिन) दर्ज करके अनुरोध प्रस्तुत करेगा।
- संबंधित फार्म सफलतापूर्वक जमा होने पर बैंक के रिकार्ड में फार्म 15G / फार्म 15H के अपडेट होने पर ग्राहक को फेडमोबाईल में तत्काल अधिसूचना प्राप्त होगी।
- यह पंजीकरण विवरण मोर -> फार्म 15G / फार्म 15H डाउनलोड में देखा जा सकता है।

लागू होने पर फेडमोबाईल के माध्यम से फार्म 15G / फार्म 15H का अद्यतन

मौजूदा फार्म 15G / फार्म 15H पंजीकृत ग्राहकों के मामले में, नया डिपॉजिट (जमा) खोलने के समय इसे अपडेट करना आवश्यक है।

- ग्राहक फेडमोबाईल के माध्यम से नया टर्म डिपॉजिट खोलने का विकल्प चुनता है।
- खोलने के लिए डिपॉजिट (जमा) का विवरण दर्ज करने के बाद, किसी भी मौजूदा फार्म 15G / फार्म 15H पंजीकरण के लिए ग्राहक की स्थिति सिस्टम द्वारा जाँची जाएगी।
- चूंकि ग्राहक पहले से ही फार्म 15G / फार्म 15H के लिए पंजीकृत है, इसलिए ग्राहक से अनुमानित आय और आयकर रिटर्न दायर करने का पिछला वर्ष दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
- ग्राहक द्वारा दर्ज की गई जानकारी और बैंक द्वारा किया गया आकलन सिस्टम द्वारा संसाधित किए जाएंगे।

- यदि ग्राहक प्रस्तावित डिपॉजिट (जमा) खोलने के बाद कर छूट के लिए पात्र हो:
- इसके बाद निम्नलिखित स्क्रीन प्रदर्शित होंगी:-
- ग्राहक फेडमोबाइल एमपिन (मोबाइल बैंकिंग पिन) दर्ज करके विवरणों की पुष्टि करेगा।
- डिपॉजिट (जमा) खोला जाएगा और फार्म 15G / फार्म 15H पंजीकरण से अंकित किया जाएगा।
- अपडेट किए गए पंजीकरण विवरण मोर> फार्म 15G / फार्म 15H डाउनलोड में देखे जा सकते हैं
- यदि ग्राहक प्रस्तावित डिपॉजिट (जमा) खोलने के बाद कर छूट के लिए पात्र नहीं है:
- डिपॉजिट (जमा) खोलने के बाद कर छूट के लिए अयोग्य होने तथा नया डिपॉजिट (जमा) खोलने के लिए मौजूदा पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में उपयुक्त संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

फेडमोबाइल के माध्यम से फार्म 15G / फार्म 15H का रद्द करना, यदि लागू हो।

- ग्राहक अपने एमपिन (मोबाइल बैंकिंग पिन) का उपयोग करके फेडमोबाइल में लॉग इन करता है।
- ग्राहक FedMobile -> More -> 15G/H Deregistration से '15G/H' विकल्प का चयन करता है।
- पुष्टिकरण संदेश ग्राहक को प्रदर्शित किया जाता है और ग्राहक को डीरजिस्ट्रेशन से पहले इसे स्वीकार करना अनिवार्य है।
- ग्राहक विवरणों की पुष्टि करेगा और फेडमोबाइल एमपिन दर्ज करके अनुरोध प्रस्तुत करेगा।
- बैंक की बैंक ऑफिस टीम द्वारा फार्म 15G / फार्म 15H की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में दिया गया निर्णय ग्राहक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- एक बार फार्म 15G / फार्म 15H बैंक की बैंक ऑफिस टीम द्वारा अनुमोदित हो जाने पर, बैंक उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ग्राहक के फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा)/रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) से टीडीएस नहीं काटेगा। ग्राहक सहमत है और प्रतिज्ञा करता है कि फार्म 15G / फार्म 15H में भरे गए विवरणों की शुद्धता की जाँच करने की एकमात्र जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।
- ग्राहक बैंक को उन किसी भी दावे, हानि, क्षति या दंड के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति करता है जो ग्राहक द्वारा फेडमोबाइल के माध्यम से दायर किए गए फार्म 15G / फार्म 15H के आधार पर ग्राहक के फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) / रिकरिंग डिपॉजिट (RD) (आवर्ती जमा) से टीडीएस न काटे जाने के कारण बैंक पर लगाया, वहन या आरोपित किया जा सकता है। केवल ग्राहक उस किसी भी प्रकार के दावे, हानि और किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो सुविधा के दुरुपयोग या अन्यथा के कारण बैंक या ग्राहक को हुई हो; चाहे वह दुरुपयोग ग्राहक, उसके कर्मचारी, एजेंट, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राहक के खातों में अनधिकृत पहुँच के कारण हुआ हो, या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में किसी भी त्रुटि, गलती या चूक के कारण हुआ हो।
- ग्राहक यह भी समझता और सहमत है कि:
- टीडीएस से छूट प्राप्त करने के लिए, जैसा लागू हो, नया फार्म 15G / फार्म 15H प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा करना आवश्यक है।
- नई डिपॉजिट (जमा) खोलने पर, जैसा लागू हो, नया फार्म 15G / फार्म 15H जमा करना आवश्यक है।
- बैंक फार्म 15G / फार्म 15H न प्रस्तुत करने या विलंब से प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- जिस कर की पहले ही कटौती की जा चुकी है, उसे रिफंड नहीं किया जा सकता और इसे रिटर्न दाखिल करके आयकर विभाग से दावा करना होगा।
- यह सुविधा बैंक द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर प्रदान की जाती है और बैंक यह गारंटी नहीं देता कि सुविधा अविरत या त्रुटिरहित होगी। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, बैंक ग्राहक को प्रदान की गई सुविधा से संबंधित किसी भी प्रकार की वारंटी, चाहे वह स्पष्ट, निहित, वैधानिक या अन्य कोई हो, से इनकार करता है, जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्तता और उल्लंघन-रहितता शामिल हैं।
- ग्राहक यह भी सहमत है कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर ग्राहक को प्रदान की गई सुविधा को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर सकता है।
- ये नियम फेडमोबाईल नियम और शर्तों के पूरक हैं और इन्हें फेडमोबाईल नियम और शर्तों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए।

फेडरल कर बचत जमा

कर बचत जमा की अवधि डिपॉजिट (जमा) खोलने की तिथि से प्रारम्भ होकर पाँच वर्ष की होगी और समय-पूर्व निकासी की अनुमति नहीं है। कर बचत जमा/डिपॉजिट (जमा) प्लस खातों पर ऑटो रिन्यू/रिन्यूअल सुविधा उपलब्ध नहीं है और परिपक्वता पर प्राप्त राशि परिचालन खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

नियम और शर्तें - टीडीएस (TDS)

रेजिडेंट डिपॉजिट

- रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा), एफएसएफ और कैश सर्टिफिकेट्स के मामले में लागू स्रोत पर कटौती किया गया कर (TDS) उस ब्याज से जिसे परिचालन खाता/टर्म डिपॉजिट में क्रेडिट किया जाता है, समय-समय पर कटौती की जाएगी।
- लागू कानून के अनुसार कर काटा जाएगा; और यदि जमा करने वाले की कुल आय, जिसमें डिपॉजिट (जमा) पर अर्जित ब्याज शामिल है, कर के दायरे में नहीं आती है, तो फार्म 15G / फार्म 15H तथा PAN विवरण जमा करने वाले द्वारा टर्म डिपॉजिट खोलने के बाद और subsequent वित्तीय वर्षों की शुरुआत में शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
- 01 जुलाई 2011 से प्रभावी, बैंक में रु. 50,000/- से अधिक के टर्म डिपॉजिट खोलने के लिए ग्राहक का पर्मनिन्ट अकाउंट नंबर (PAN) देना अनिवार्य है; यदि ग्राहक के पास PAN नहीं है तो सही हस्ताक्षरित फार्म 60/61 जमा करना अनिवार्य होगा। पैन के अभाव में फार्म 15G / फार्म 15H और अन्य छूट प्रमाणपत्र, भले ही जमा किए गए हों, अमान्य होंगे और उच्चतम दर पर टीडीएस लागू होगा।
- धारा 206AA, जो फाइनेंस (नं. 2) अधिनियम, 2009 के तहत लागू है और 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है, के अनुसार, जिस भी व्यक्ति को ऐसी आय प्राप्त होती है जिस पर स्रोत पर कटौती किया गया कर (TDS) कटौती योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा; यदि वह ऐसा नहीं करता है तो घरेलू डिपॉजिट (जमा राशि) के मामले में स्रोत पर कटौती किया गया कर (TDS) 20% की दर से काटा जाएगा।
- ग्राहक अपने PAN कार्ड (मूल और प्रति) लेकर फेडरल बैंक शाखा पर जाकर इसे बैंक के रिकार्ड में अपडेट कराएंगे। निवासी ग्राहक फेडरल बैंक की शाखाओं के माध्यम से पैन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

एनआरई (NRE) जमा

एनआरई (NRE) जमा 100% कर-मुक्त हैं और पूरी तरह से रिपैट्रिबल हैं।

नामांकन

ऑनलाइन नामांकन सुविधा केवल फेडमोबाइल के माध्यम से नए टर्म डिपॉजिट खोलते समय ही उपलब्ध है। ऑनलाइन नामांकन पंजीकरण के लिए उक्त सुविधा का उपयोग करने पर, डिपॉजिटर को यह माना जाएगा कि उसने पुष्टि की है कि नामित नामिनी एक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो डिपॉजिटर के लिए अच्छी तरह जाना-पहचाना है और जो लागू कानून या नियामक मानदंडों के अंतर्गत अन्यथा नामिनी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं है। यदि किसी कृत्रिम/कानूनी/गैर-प्राकृतिक व्यक्ति को नामित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो उक्त नामांकन अमान्य माना जाएगा और बैंक पर इसे मानने का कोई दायित्व नहीं होगा। अन्य लागू सेवाओं में नामांकन सुविधा का लाभ लेने के लिए, कृपया भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित नामांकन फॉर्म शाखा में जमा करें। कृपया नामांकन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए [यहाँ](#) क्लिक करें।

अन्य नियम और शर्तें

- समय-पूर्व निकासी उन नियम और शर्तों के अधीन है जो बैंक द्वारा विशिष्ट योजनाओं के अनुसार तथा लागू आरबीआई/आईबीए नियमों के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
- टर्म डिपॉजिट/एफएसएफ से संबंधित नियम और विनियम आरबीआई/आईबीए आदि द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होते हैं।
- एनआरओ (NRO) श्रेणी के अंतर्गत टर्म डिपॉजिट ऑनलाइन मोड के माध्यम से नहीं खोला जा सकता।
- एनआरई (NRE) जमा की न्यूनतम अवधि 12 महीने होनी चाहिए।
- समय-पूर्व निकासी की अनुमति है; एनआरई (NRE) जमा पर 1 वर्ष पूरा होने से पहले ब्याज देय नहीं होगा।
- सभी एनआरई (NRE) टर्म डिपॉजिट पर समय-पूर्व निकासी के लिए 1% का चार्ज लागू होता है।
- यदि बाद में एनआरआई (NRI) स्थिति रेजिडेंट में बदल जाती है, तो सभी एनआरआई (NRI) टर्म डिपॉजिट को संबंधित रेजिडेंट टर्म डिपॉजिट योजना में पुनः नामांकित कर दिया जाएगा, जिस पर टीडीएस लागू होगा।
- एनआरई (NRE) रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पेनल्टी चार्ज - यदि किस्त नियत तिथि और 10 दिनों की ग्रेस अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है तो पेनल्टी चार्ज रु. 1 प्रति रु. 100 प्रति माह लागू होगा, न्यूनतम रु. 10।

जानकारी की सटीकता

ग्राहक जहाँ भी आवश्यक हो जानकारी की सटीकता प्रदान करने का दायित्व स्वीकार करता है और सुविधा का लाभ उठाने के प्रयोजनों सहित किसी भी समय बैंक को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता तथा प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी रहेगा। बैंक ग्राहक द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी से उत्पन्न परिणामों के लिए दायित्व नहीं होगा। यदि ग्राहक को यह संदेह हो कि बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई जानकारी में त्रुटि है, तो वह बैंक को यथाशीघ्र सूचित करेगा। बैंक जहाँ भी संभव हो, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेगा। हालाँकि बैंक ग्राहक को प्रदान की गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी यथोचित कदम उठायेगा, परन्तु बैंक किसी अनजानी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप असटीक जानकारी प्रदान हो। ग्राहक बैंक को किसी भी ऐसे नुकसान, क्षति आदि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और मुक्त रखेगा जो ग्राहक को प्रदान की गई जानकारी असत्य/गलत साबित होने पर हो सकते हैं। **ग्राहक सहमत है कि सुविधा तक पहुँच केवल मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से होगी और उसी से उत्पन्न कोई भी लेन-देन, चाहे वह ग्राहक द्वारा आरंभ किया गया हो या नहीं, ग्राहक द्वारा आरंभित माना जाएगा।**

बैंक को अधिकार

ग्राहक बैंक को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त रूप से अधिकृत करता है कि बैंक सुविधा के माध्यम से ग्राहक के प्रभावी बैंकिंग या अन्य लेन-देन के लिए उसके सभी खातों तक पहुँच प्राप्त करे। ग्राहक बैंक को ग्राहकों के अनुरोधों को स्वीकार/निष्पादित करने के उद्देश्य से खाता जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता है।

ग्राहक सहमत है कि बैंक और / या इसकी संबद्ध संस्थाएँ उसके खातों से संबंधित उसकी व्यक्तिगत जानकारी को सुविधा के संबंध में तथा विश्लेषण, क्रेडिट स्कोरिंग और विपणन के लिए कंप्यूटर पर या अन्यथा संग्रहित और संसाधित कर सकती

हैं। ग्राहक यह भी सहमत है कि बैंक कठोर गोपनीयता के साथ अन्य संस्थाओं को ऐसी जानकारी प्रकट कर सकता है जो औचित्यपूर्ण रूप से आवश्यक हो सकती है, जिनमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित न होकर किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क में भागीदारी, कानूनी निर्देशों के अनुपालन हेतु, मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए, तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए शामिल हैं।

ग्राहक बैंक और उसके एजेंटों को यह अधिकृत करता है कि वे उसके मोबाइल फोन नंबर पर संदेश भेजें या कॉल करें ताकि उसे किसी भी प्रचारात्मक प्रस्तावों के बारे में सूचित किया जा सके, जिसमें बैंक के नए उत्पादों से संबंधित जानकारी शामिल है जो वर्तमान में उपलब्ध हैं या जिन्हें बैंक भविष्य में प्रस्तुत कर सकता है, शुभकामनाएँ या कोई अन्य संदेश जो बैंक उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त समझे।

ग्राहक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त सहमत है कि बैंक और/या उसके एजेंटों द्वारा किए गए ऐसे कॉल या संदेशों को उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही नहीं की जाएगी।

फीस

बैंक के पास यह विवेक होगा कि वह समय-समय पर जितना उचित समझे उतने शुल्क लगाए, और वह अपने पूर्ण विवेकानुसार किसी भी या सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्कों में संशोधन कर सकता है, ग्राहक को सूचना देकर। ग्राहक किसी भी समय उक्त सुविधा को बंद कर सकता है या उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। ग्राहक उन प्रकार के एयरटाइम या अन्य चार्जों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो किसी भी सेल्युलर सेवा प्रदाता द्वारा सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में लगाया जा सकता है, और बैंक का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ग्राहक द्वारा देय चार्ज किसी भी सेल्युलर सेवा प्रदाता को देय राशि से अलग हैं और मासिक आधार पर ग्राहक के खाते से डेबिट किए जाएंगे। ग्राहक को समय-समय पर वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्क अनुसूची का संदर्भ लेना आवश्यक होगा।

सेट-ऑफ

- बैंक और उसकी समूह कंपनियों को ग्राहक के किसी भी प्रकार और प्रकृति के डिपॉजिट (जमा) पर—जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) शामिल हैं—और बैंक तथा/या एफिलिएट्स के साथ रखे गए ग्राहक के किसी भी अन्य खाता/खातों में विद्यमान या पड़ी शेष राशि पर, चाहे वे एकल नाम पर हों या संयुक्त नाम(ों) पर, तथा बैंक और/या एफिलिएट्स के नियंत्रण में रखी गई किसी भी धनराशि, प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड और अन्य सभी परिसंपत्तियाँ, दस्तावेज़ व संपत्तियों पर, किसी भी अन्य लियन या चार्ज की परवाह किए बिना, सेट-ऑफ और लियन का सर्वोच्च अधिकार होगा, चाहे वे सुरक्षा के रूप में हों या ग्राहक द्वारा किसी भी क्षमता में किए गए/कीए जाने वाले किसी भी अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य रूप में हों, ताकि सुविधा के अंतर्गत ग्राहक की देयता की पूर्ति की जा सके। बैंक और/या एफिलिएट्स को ग्राहक को किसी भी सूचना दिए बिना अधिकार है कि वे यहाँ या किसी अन्य दस्तावेज़/समझौते के अंतर्गत ग्राहक द्वारा बैंक और/या एफिलिएट्स के प्रति कोई भी देनदारी (चाहे वास्तविक हो या संभावित, प्राथमिक हो या गिरवी, या संयुक्त और/या पृथक) का निपटान किसी भी डिपॉजिट (जमा) को समायोजित/सेट-ऑफ करके और/या ग्राहक के बैंक और/या एफिलिएट्स के साथ रखे किसी भी खाते के शेष में पड़ी राशि को हस्तांतरित करके कर सकें, भले ही उक्त खाते में रखे डिपॉजिट (जमा)/शेष उस देनदारी की मुद्रा में व्यक्त न किए गए हों। बैंक और उसकी एफिलिएट्स के इसके तहत दिए गए अधिकार ग्राहक के दिवाला घोषित होने, मृत्यु या परिसमापन से प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी ऐसे संयुक्त खाता धारक के साथ होने वाले सभी विवाद/आपत्तियों का निपटान करना ग्राहक की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा।
- उपरोक्त उल्लिखित अधिकार या ऐसा कोई अन्य अधिकार जिसके लिए बैंक और उसकी एफिलिएट्स किसी भी समय कानून के प्रावधान, अनुबंध या अन्यथा के तहत अधिकारी हों, उसके अतिरिक्त बैंक अधिकृत/अधिकारप्राप्त होगा: (a) ग्राहक के सभी या किसी भी खातों और देनदारियों को किसी भी समय बैंक की किसी भी शाखा और/या उसकी एफिलिएट्स में या उनके साथ जोड़ने या समेकित करने का अधिकार; (b) बैंक द्वारा धारण की गई ग्राहक की किसी भी प्रतिभूतियों या संपत्तियों को सार्वजनिक या निजी बिक्री द्वारा या अन्यथा बेचने या त्यागने तथा किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही आरम्भ किए बिना वहां से प्राप्त राशि में से बैंक

और/या उसकी एफिलिएट्स के प्रति ग्राहक की कुल बकाया राशि और उक्त बिक्री/निपटान से संबंधित लागत और खर्च रोककर/समायोजित करने का अधिकार।

संशोधन

बैंक को किसी भी समय नियम और शर्तों में संशोधन करने या कोई पूरक जोड़ने का पूर्ण विवेकाधिकार है, और बैंक, अपने विवेक पर निर्भर करते हुए, ईमेल द्वारा या वेबसाइट पर प्रदर्शित कर एक महीने की पूर्व सूचना देने का प्रयत्न करेगा, जो भी संभव हो; और ऐसे संशोधित नियम और शर्तें तत्क्षण लागू होंगी तथा ग्राहक के लिए बाध्यकारी होंगी।

समाप्ति

ग्राहक किसी भी समय बैंक को कम से कम 30 दिनों की लिखित सूचना देकर सुविधा के समापन का अनुरोध कर सकता है। सुविधा रद्द किए जाने के समय से पहले उनके मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से की गई किसी भी लेन-देन के लिए ग्राहक उत्तरदायी रहेगा।

बैंक अपनी विवेकाधिकार पर किसी भी समय बिना ग्राहक को पूर्व सूचना दिए सुविधा को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या उसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से समापन कर सकता है। बैंक पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय सुविधा को निलंबित कर सकता है, यदि किसी भी समय ऐसा हो जब किसी रखरखाव कार्य या मरम्मत को संपन्न करने की आवश्यकता हो, या किसी आपातकाल या सुरक्षा कारणों की स्थिति में, जिनके लिए सुविधा को निलंबित करना आवश्यक हो। बैंक सुविधा की निकासी या समापन के लिए उचित सूचना देने का प्रयत्न करेगा।

ग्राहक के सभी खातों का बंद करना स्वतः ही सुविधा का समापन कर देगा। बैंक बिना पूर्व सूचना के सुविधा को निलंबित या समाप्त कर सकता है यदि ग्राहक ने इन नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है या बैंक को ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन या कानूनी क्षमता की कमी का पता चलता है।

नोटिस

बैंक और ग्राहक इन नियम और शर्तों के अंतर्गत सूचनाएँ ग्राहक के मेलबॉक्स पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकते हैं (जिसे लिखित माना जाएगा), या लिखित रूप में उन्हें हाथ से देकर या डाक द्वारा ग्राहक द्वारा दिए गए अंतिम पते पर भेजकर दे सकते हैं; और बैंक के मामले में सूचनाएँ बैंक को उसके कार्यालय, द फेडरल बैंक लिमिटेड पर भेजी जाएँगी। पंजीकृत कार्यालय, फेडरल टॉवर, अलुवा, एर्नाकुलम जिला, केरल, 683101. इसके अतिरिक्त, बैंक सुविधा और उन नियम और शर्तों से संबंधित सामान्य प्रकृति की सूचनाएँ, जो सुविधा के सभी ग्राहकों पर लागू होती हैं, अपनी वेबसाइट पर और/या ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर पर भेजे जाने वाले कस्टमाइज्ड संदेशों के माध्यम से एसएमएस (शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस) के रूप में भी प्रदान करेगा। ऐसी सूचना प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से दी गई मानी जाएगी।

रिकॉर्ड्स

सुविधा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लेन-देनों से संबंधित बैंक के सभी रिकार्ड, जिनमें लेन-देने का समय रिकार्ड किया गया हो, लेन-देनों की प्रामाणिकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे। लेन-देन के विवरण रिकॉर्ड करने का अधिकार यहाँ स्पष्ट रूप से ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान किया जाता है।

दायित्व का अस्वीकरण

बैंक उस किसी भी स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहाँ ग्राहक सुविधा का उपयोग करने में विफल रहता है क्योंकि ग्राहक उस भौगोलिक सीमा के भीतर नहीं है जहाँ सुविधा प्रदान की जाती है; किसी भी परिस्थिति में बैंक दायित्व नहीं ठहराया जाएगा यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिन कारणों में परंतु सीमित नहीं होकर प्राकृतिक आपदाएँ, कानूनी प्रतिबंध, सिस्टम त्रुटि, दूरसंचार नेटवर्क में दोष या नेटवर्क विफलता, या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण शामिल हैं। यदि ग्राहक के पास कारण हो कि उसका मोबाइल फोन नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया है और/या उसके खाते में कोई अनधिकृत लेन-देन हुआ है और/या उसका मोबाइल फोन खो गया है, तो वह तुरंत बैंक को इस संबंध में सूचित करेगा और बैंक से प्राप्ति की पुष्टि प्राप्त करेगा।

ग्राहक सहमत है कि बैंक उत्तरदायी नहीं होगा यदि

- यदि ग्राहक ने यहाँ के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन किया हो या
- ग्राहक द्वारा योगदान किया गया हो या हानि ग्राहक की उस विफलता का परिणाम हो कि ग्राहक ने अनधिकृत पहुँच या खाता में त्रुटिपूर्ण लेन-देन के बारे में बैंक को उचित समय के भीतर सूचित न किया हो;
- ग्राहक द्वारा बैंक को अपने मोबाइल फोन नंबरों में परिवर्तन या समाप्ति की सूचना न देने के परिणामस्वरूप। बैंक किसी भी सेलुलर या किसी भी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता (चाहे उस संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों या अन्यथा) द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, जो सुविधा को प्रभावित कर सकती है।

बैंक सुविधा के माध्यम से प्रेषित संदेशों – चाहे वे व्यक्तिगत हों या अन्य – की गोपनीयता या सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बैंक सिस्टम और नेटवर्क या उनकी कार्यक्षमता या प्रदर्शन से संबंधित तथा सुविधा के कारण या उससे संबंधित किसी भी हानि या नुकसान के संबंध में, ग्राहक या किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी और किसी भी प्रकार से जो भी हुआ या भुगता गया हो, बैंक किसी भी प्रकार की वारंटी या प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता।

इस नियम और शर्तों के अन्य प्रावधानों तक सीमित न रहकर, बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार, किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए तथा ऐसे किसी भी हानि या क्षति के संबंध में उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें शामिल पर सीमित नहीं है: राजस्व, मुनाफा, व्यापार, अनुबंध, अनुमानित बचत या सद्भाव की हानि, किसी भी उपकरण सहित सॉफ्टवेयर के उपयोग या मूल्य की हानि, चाहे वह पूर्वानुमेय हो या न हो, जो ग्राहक या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुई या संबंधित हो जो कि बैंक द्वारा अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने तथा उत्तर तैयार करने और वापस भेजने में किसी भी देरी, अवरोध, निलंबन, समाधान या त्रुटि से, या ग्राहक के दूरसंचार उपकरण और किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा बैंक की प्रणाली के बीच किसी भी सूचना या संदेश के प्रसारण में हुई किसी भी विफलता, देरी, अवरोध, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि से, या ग्राहक के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा/या ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाले किसी भी तीसरे पक्ष के किसी भी ब्रेकडाउन, अवरोध, निलंबन या विफलता से संबंधित हो जो सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

इन नियम और शर्तों में इसके विपरीत कुछ भी प्रदान किए जाने के बावजूद, बैंक उस किसी भी विवाद में संलग्न नहीं होगा और न ही ग्राहक के प्रति किसी भी प्रकार उत्तरदायी होगा जो ग्राहक और किसी सेलुलर सेवा प्रदाता या किसी तीसरा पक्ष सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न हो (चाहे वह सेवा प्रदाता उस संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किया गया हो या अन्यथा)। ग्राहक किसी भी प्रकार से सुविधा में हस्तक्षेप या उसका दुरुपयोग नहीं करेगा; यदि ग्राहक द्वारा अनुचित या धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के कारण कोई क्षति होती है, तो ग्राहक बैंक को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (एमपिन), मोबाइल फोन नंबर और सुविधा के उपयोग के लिए बैंक द्वारा दिया गया किसी भी पासवर्ड की सुरक्षा के लिए केवल जिम्मेदार है। बैंक निम्नलिखित के लिए दायित्व नहीं लेगा:

- (a) ग्राहक के एमपिन, मोबाइल फोन का कोई भी अनधिकृत उपयोग या ग्राहक के एमपिन या मोबाइल फोन नंबर के उपयोग से दिए गए किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण, डुप्लिकेट या त्रुटिपूर्ण निर्देश;
- (b) बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश पर सद्भावना से कार्य करना;
- (c) बैंक द्वारा सभी या किसी भी निर्देश पर कार्य करने में त्रुटि, डिफॉल्ट, देरी या असमर्थता;
- (d) संचार के दौरान किसी भी जानकारी/निर्देश का खो जाना;
- (e) ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी जानकारी/निर्देश तक किसी अन्य व्यक्ति का अनधिकृत पहुँच या गोपनीयता का उल्लंघन;
- (f) दूरसंचार उपकरण (जैसे मोबाइल हैंडसेट) में किसी अन्य समस्या/डिफॉल्ट/त्रुटि/प्रौद्योगिकीय समस्या या ग्राहक के मोबाइल नंबर/सिम की डुप्लीकेशन के परिणामस्वरूप खाता में कोई भी अनधिकृत लेन-देन, जैसे परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं: सिम कार्ड क्लोनिंग, हैंडसेट में वायरस आदि.

बैंक सुविधा के भाग के रूप में कोई अन्य सेवाएँ भी प्रदान कर सकता है। बैंक उस उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहाँ ग्राहक यह सुनिश्चित/अपडेट न करे कि सुविधा में कौन-सी अतिरिक्त सेवाएँ शामिल की गई हैं तथा प्रत्येक उत्पाद के लिए विशिष्ट सेवाएँ जो बैंक की वेबसाइट पर दी जा सकती हैं और बैंक के अधिकृत कॉल सेंटर्स पर उपलब्ध होंगी।

क्षतिपूर्ति

बैंक द्वारा सुविधा प्रदान करने के विचार में, ग्राहक इस बात के लिए सहमत हैं कि वे बैंक से किसी भी और सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, मुकदमों, हानियों, नुकसानों, लागतों, चार्जों और खर्चों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेंगे तथा बैंक को सुरक्षित, हानिरहित और क्षतिपूर्ति किया हुआ रखेंगे, जिन्हें बैंक किसी भी समय वहन कर सके, सह सके, झेल सके या जिनके अधीन हो सके, जो सुविधा के उपयोग द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्य करने, उसे उपेक्षा करने या उस पर कार्य करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हों।

ग्राहक बैंक/इसके सहयोगियों को ग्राहक को हुई किसी भी हानि के संबंध में मुक्त रखता है जो कि सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विफल होने या किसी देरी के कारण उत्पन्न हुई हो, यदि वह देरी या विफलता सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क की किसी विफलता या विसंगति के कारण हुई हो। ग्राहक सहमत है कि वह निम्नलिखित के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को किसी भी हानि से निरापद रखेगा:

- ग्राहक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देना।
- ग्राहक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके मोबाइल फोन तक पहुँच की अनुमति देना, या मोबाइल फोन को अनरक्षित छोड़ने या मोबाइल फोन खो जाने के परिणामस्वरूप।

ग्राहक की देयता

निम्नलिखित परिस्थितियों में होने वाले अनधिकृत लेन-देन के मामलों में ग्राहक की **शून्य देयता (Zero Liability)** होगी:

- बैंक की ओर से की गई सहयोगी धोखाधड़ी / लापरवाही / कमी।
- तृतीय-पक्ष उल्लंघन, जहाँ कमी प्रणाली के किसी अन्य भाग में हो, और आप बैंक (या उसके आउटसोर्स किए गए सेवा प्रदाताओं) से प्राप्त अनधिकृत लेन-देन संबंधी सूचना प्राप्त होने के **3 कार्य दिवसों के भीतर** बैंक (या उसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं) को सूचित कर देते हैं।

निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेन-देन के कारण होने वाले नुकसान के लिए **ग्राहक उत्तरदायी** होगा:

- जहाँ नुकसान आपकी लापरवाही के कारण हुआ हो, जैसे कि लॉग-इन / भुगतान संबंधी क्रेडेंशियल्स साझा करना, ऐसे मामलों में अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट बैंक (या उसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं) को किए जाने तक पूरा नुकसान ग्राहक को वहन करना होगा। रिपोर्ट किए जाने के बाद होने वाला नुकसान बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
- जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन की जिम्मेदारी न तो बैंक की हो और न ही आपकी, बल्कि प्रणाली के किसी अन्य भाग में हो, और बैंक (या उसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं) से सूचना प्राप्त होने के बाद **4 से 7 कार्य दिवसों की देरी** से आप बैंक को सूचित करते हैं, ऐसे मामलों में प्रति लेन-देन आपकी देयता नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित लेन-देन मूल्य या निर्धारित राशि (जो भी कम हो) तक सीमित होगी (RBI विनियमों के अनुसार)।

ग्राहक की देयता का सारांश

धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन की सूचना देने में लिया गया समय	ग्राहक की देयता (₹)
3 कार्य दिवसों के भीतर	शून्य देयता
4 से 7 कार्य दिवसों के भीतर	अधिकतम देयता ≤ ₹5,000 - सभी BSBD खातों के लिए
	अधिकतम देयता ≤ ₹10,000 - अन्य सभी बचत खातों के लिए
7 कार्य दिवसों से अधिक	बैंक की बोर्ड-स्वीकृत नीति के अनुसार

RBI परिपत्र **DOR/2025-26/170 DOR.MCS.REC.No.89/01-01-032/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025** (**Responsible Business Conduct**) के अनुसार ग्राहक की समग्र देयता का सारांश ऊपर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यदि आपके द्वारा रिपोर्ट करने में **7 कार्य दिवसों से अधिक की देरी** होती है, तो आपकी देयता बैंक की **बोर्ड-स्वीकृत नीति** के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

शासी कानून

ये नियम और शर्तें और बैंक द्वारा ग्राहक के खातों में किए जाने वाले संचालन तथा/या सुविधा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोग पर भारतीय गणराज्य के कानून शासक कानून होंगे और किसी अन्य राष्ट्र के नहीं। • बैंक भारत गणराज्य के अलावा किसी भी अन्य देश के कानूनों के अनुपालन न होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। केवल इस तथ्य से कि ग्राहक भारत के अलावा किसी अन्य देश में सुविधा तक पहुँच सकते हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा कि उक्त देश के कानून इन नियम और शर्तों और/या यूज़र के सुविधा खातों के संचालन और/या सुविधा के उपयोग पर लागू होते हैं।

नेटवर्क स्वतंत्रता

सुविधा / FedMobile को किसी विशिष्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर पर निर्भर हुए बिना संचालित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्राहक भारत के भीतर किसी भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर का उपयोग करते हुए, केवल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता और गुणवत्ता के अधीन, इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। स्पष्टीकरण हेतु, बैंक किसी विशिष्ट मोबाइल नेटवर्क या दूरसंचार सेवा प्रदाता के उपयोग के आधार पर सुविधा / FedMobile तक पहुँच को प्रतिबंधित नहीं करता है।

अस्वीकरण

बैंक अपने एकाधिकार विवेकानुसार, अपने उत्पादों/सेवाओं के संबंध में आवश्यकतानुसार और उन शर्तों पर जो आवश्यक हों, बाहरी सेवा प्रदाता/एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

बीवाईओएम (BYOM)

- लोन का अनुमोदन द फेडरल बैंक लिमिटेड के एकमात्र विवेक पर किया जाता है (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित)। बैंक अपने आंतरिक नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार आपके लोन के लिए पात्रता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- आप द्वारा लोन का लाभ उठाना यहाँ निहित लोन के नियम और शर्तों की आपकी बिना शर्त स्वीकृति माना जाएगा और आप उन नियमों और शर्तों के बंधन में होंगे।
- लोन आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर इस ई-मेल में निर्दिष्ट आपके परिचालन खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा।
- लोन का लाभ उठाकर, आप (उधारकर्ता) इसके द्वारा बिना शर्त निम्नानुसार सहमत, पुष्टि, घोषणा और प्रतिज्ञा करते हैं:
 - a. आप सुनिश्चित करेंगे कि लोन का उपयोग केवल आपकी वास्तविक वैध व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ही किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।
 - b. यह स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थितियों में लोन की प्राप्तियाँ सट्टेबाज़ी प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की जाएँगी।
 - c. उक्त लोन पर इस ई-मेल में निर्दिष्ट ब्याज दर लागू होगी। लोन पर ब्याज दैनिक घटती पद्धति के अनुसार लागू किया जाएगा।
 - d. आप इस ई-मेल में निर्दिष्ट चुकौती की शर्तों के अनुसार लोन की अदायगी करेंगे। आपको लोन की सेवा के लिए अपने परिचालन खाते में पर्याप्त क्रेडिट बैलेंस रखना होगा।
 - e. कि इस ई-मेल में निर्दिष्ट दरों पर प्रोसेसिंग फीस अग्रिम रूप से देय होगी।
- लोन एक बार प्रोसेस होकर और वितरित कर दिए जाने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता। लोन का लाभ उठाने के समय पुष्टि की गई लोन के लिए लागू ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क और अवधि बदले नहीं जा सकते।
- लोन को उसकी अवधि के दौरान किसी भी समय समय-पूर्व बंद किया जा सकता है।
- 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, जीएसटी (GST) दर 18% है, जो परिवर्तन के अधीन है और सरकारी नियामक मानदंडों के अनुसार लागू होगी।
- उधारकर्ता द्वारा लोन की अदायगी में डिफॉल्ट होने की स्थिति में, जिसमें लागू ब्याज, चार्ज, कर और लागत सहित भुगतान करना शामिल है, और/या यहाँ निहित नियम और शर्तों का पालन न करने पर,
 - a. आप अतिरिक्त/पेनल्टी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - b. लोन खाते में समस्त बकाया राशि माँग पर तुरंत देय होगी। हालांकि, बैंक अपनी एकमात्र विवेकाधिकार पर उधारकर्ता को लोन जारी रखने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते उधारकर्ता बकाया राशि का भुगतान करे।
 - c. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह आपका नाम सिबिल/आरबीआई अथवा किसी अन्य वैधानिक, नियामक या रेटिंग एजेंसी को रिपोर्ट करे।
 - d. बैंक को अपनी लोन/डेब्ट कलेक्शन पॉलिसी के अनुरूप लोन खाता के अंतर्गत बकाया राशि वसूल करने हेतु आपके विरुद्ध ऐसे अन्य कानूनी रूप से अनुमेय उपाय आरंभ करने का अधिकार होगा।
- बैंक को किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, इन नियम और शर्तों के किसी भी या सभी प्रावधानों को जोड़ने, बदलने, संशोधित करने, परिवर्तित करने या भिन्न करने का अधिकार सुरक्षित है। यहाँ से उत्पन्न होने वाले या इससे

संबंधित या अन्यथा जुड़े हुए सभी विवाद केवल केरल के सक्षम न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

- आप सहमत और घोषणा करते हैं कि बैंक को अपनी पसंद के किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी को लोन असाइन करने का बिना शर्त अधिकार होगा, जिसके लिये आपकी ओर से किसी भी अतिरिक्त सहमति या सह-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

ऑनलाइन लोन सुविधा

मैं/हम समझते/समझती हैं कि

- ऑनलाइन लोन सुविधा केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनके नाम पर एकल डिपॉजिट (जमा राशि) है, और यह संयुक्त नामों में जमा, नाबालिगों के नाम पर जमा (उन नाबालिगों सहित जो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए पात्र हैं), एफसीएनआर जमा, तीसरे पक्ष के नाम पर जमा तथा कंपनियों के नाम पर जमा के खिलाफ उपलब्ध नहीं है।
- मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक देय ब्याज, यदि कोई हो, स्वतः नए लोन खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि किसी भी मौजूदा लोन खाते के लिए ब्याज भुगतान अनिवार्य किया गया है, तो ओडी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि इसे होम शाखा द्वारा परिवर्तित न किया जाए।
- ओवरड्राफ्ट (OD) खाते (फेडरल ईजी कैश और फेड राइज़) से राशि की निकासी/हस्तांतरण फेडनेट और फेडमोबाईल सुविधा के माध्यम से की जा सकती है। हालाँकि, एएडी (टर्म लोन सुविधा) के मामले में, लोन की राशि परिचालन/बचत खातों में वितरित की जाएगी।
- लोन खाते में क्रेडिट/डिपॉजिट (जमा) किसी भी शाखा में नकद जमा द्वारा, किसी भी डिपॉजिट (जमा) शाखा से हस्तांतरण द्वारा, या फेडनेट के माध्यम से हस्तांतरण करके किया जा सकता है।
- बैंक समय-समय पर लागू मानदंडों के अनुसार और अपने विवेकानुसार फेडरल ईजी कैश/फेड राइज़ योजनाओं के मानदंडों के अनुरूप ओवरड्राफ्ट सीमा/डीपी को उपयुक्त रूप से पुनः निर्धारित करेगा।
- बैंक मेरे/हमारे नाम/नामों में ओवरड्राफ्ट सुविधा या किसी भी अन्य खाते में आवधिक ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज डेबिट करेगा।
- डिपॉजिट (जमा) की परिपक्वता पर या लोन अवधि की समाप्ति पर लोन खाता बंद करना डिपॉजिट (जमा राशि) की परिपक्वता राशि समायोजित करके बिना आगे की सूचना के किया जाएगा। लोन खाता बंद करने के बाद, यदि कोई अतिरिक्त राशि होगी तो उसे परिचालन खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
- लोन खाता का परिपक्वता से पहले बंद करना ग्राहक के अनुरोध पर फेडनेट/फेडमोबाईल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें परिचालन खाता से निधियों का स्थानांतरण करने का विकल्प होगा। हालाँकि, डिपॉजिट (जमा) के खिलाफ सेट-ऑफ करके लोन बंद करने का विकल्प फेडनेट के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। डिपॉजिट (जमा) के विरुद्ध सेट-ऑफ केवल शाखाओं में ही किया जा सकता है।
- लोन की धनराशि व्यक्तिगत प्रयोजनों या व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए उपयोग की जाएगी; परंतु यदि लोन एनआरई (NRE)/एनआरओ (NRO) जमा के विरुद्ध लिया गया हो तो इसे दूसरों को पुनः उधार देने, कृषि/प्लांटेशन गतिविधियाँ संचालित करने, या रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश करने के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- जहाँ ऐसे जमा के खिलाफ लोन लिया जाना हो, वहाँ एनआरई (NRE) जमा और एफसीएनआर (FCNR) जमा की समय-पूर्व निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

- लोन की राशि केवल तभी एनआरओ (NRO) खाते में क्रेडिट की जाएगी यदि लोन एनआरई (NRE)/एनआरओ (NRO) डिपॉजिट (जमा राशि) के विरुद्ध लिया गया हो। नकद के माध्यम से निकासी/एनआरई (NRE) खाते में ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।
- यदि लोन एनआरई (NRE)/एनआरओ (NRO) जमा के विरुद्ध लिया गया है, तो भुगतान या तो डिपॉजिट (जमा) के समायोजन द्वारा किया जाएगा या भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नई विदेशी आवक प्रेषण द्वारा किया जाएगा।
- लोन उन अन्य नियम और शर्तों के अधीन भी है, जिन्हें बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

मैं/हम सहमत हैं कि बैंक का ऊपर उल्लेखित सिक्योरिटी पर सामान्य लियन रहेगा जो वर्तमान लोन के साथ-साथ मेरे/हमारे खिलाफ किसी भी अन्य मौजूदा या भविष्य की देयता के लिए भी लागू होगा।

उपरोक्त डिपॉजिट (जमा)/खाता के मूलधन/ब्याज/लाभ के निपटान के संबंध में, मैं/हम आपको निम्नलिखित करने हेतु अधिकृत करते हैं:

- उपरोक्त डिपॉजिट (जमा)/एफएसएफ खाते पर ग्राहक को देय सभी ब्याज/लाभ को लोन खाता में क्रेडिट करें।
- यदि लोन खाता नियत तिथि पर बंद नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास डिपॉजिट (जमा) को लागू नियम और शर्तों के साथ, यहां तक कि समय-पूर्व रूप से भी, बंद करने तथा लोन की बकाया राशि का निपटान करने का अधिकार होगा। लोन का निपटान करने के बाद, यदि कोई शेष राशि हो तो उसे ग्राहक के परिचालन खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। बैंक द्वारा यहाँ वर्णित के अनुसार डिपॉजिट (जमा) को बंद करके बकाया राशि का निपटान करने पर, संबंधित डिपॉजिट (जमा) रसीद अब वैध नहीं रहेगी और वह ग्राहक द्वारा बैंक को लौटाई जाएगी।
- ग्राहक को देय शेष राशि, यदि कोई हो, बैंक के प्रति ग्राहक द्वारा बकाए किसी भी अन्य देयता/बकाया राशि की ओर समायोजित की जाएगी।
- ग्राहक को सूचित किए बिना डिपॉजिट (जमा) खाता बंद/समर्पित कर प्राप्त राशि को बैंक के प्रति ग्राहक की सभी वर्तमान/भविष्य की देयताओं के विरुद्ध सेट-ऑफ कर दिया जाएगा।
- बैंक के पास पूरा अधिकार और प्राधिकरण है कि वह अनुसूची में उल्लिखित डिपॉजिट (जमा) तथा उन पर संचित ब्याज को ग्राहक की किसी भी बकाया राशि की अदायगी के लिए, जिसमें ब्याज/चार्ज आदि शामिल हैं, ग्राहक की वर्तमान और/या भविष्य की किसी भी देयता के विरुद्ध सेट-ऑफ कर दे, चाहे वह उधारकर्ता के रूप में हो, सह-देय के रूप में हो या जमानतकर्ता के रूप में।
- यह उपरोक्त खातों में मुख्य राशि/ब्याज/लाभ के निपटान के संबंध में ग्राहक द्वारा दिए गए सभी या किसी भी पूर्व निर्देशों को रद्द करता है।
- बैंक अपनी विवेकानुसार यहाँ उल्लिखित ब्याज दर बढ़ा सकता है और ग्राहक उसे भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

मैं/हम यह आगे घोषणा और सहमति देते हैं कि बैंक के पास अनुसूची में उल्लिखित डिपॉजिट (जमा) तथा उस पर संचित ब्याज को मेरे/हमारे किसी भी देयता, वर्तमान और/या भविष्य की (चाहे उधारकर्ता, को-ऑब्लिगेंट या गारंटर के रूप में हों) के विरुद्ध, बकाया राशि की अदायगी के लिए सेट-ऑफ करने का पूरा अधिकार और प्राधिकरण है, जिसमें ब्याज/चार्ज आदि शामिल हैं।

यह मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त खातों में मूलधन/ब्याज/लाभ के निपटान के संबंध में पहले दिए गए सभी या किसी भी निर्देश को रद्द करता/करती है।

मैं/हम सहमत हैं कि बैंक अपने विवेक पर यहाँ उल्लिखित ब्याज दर बढ़ा सकता है और मैं/हम इसे भुगतान करने के लिए बाध्य रहेंगे।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर उल्लिखित सभी नियम और शर्तें पढ़ें और समझें हैं।

ऋण अनुरोध

फेडमोबाईल के माध्यम से किया गया अनुरोध अपने आप लोन की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं करेगा और इसके लिए विभिन्न अन्य नियम और शर्तों का भी पालन आवश्यक होगा।

लोन का समापन

लोन खाता बंद करना की सुविधा केवल उन लोन के लिए उपलब्ध है जो डिपॉजिट (जमा राशि) के विरुद्ध फेडमोबाईल के माध्यम से ली गई हैं। अन्य सभी प्रकार के लोन के लिए लोन खाता बंद करना बैंक शाखा में जाकर करना होगा।

म्यूचुअल फंड

A. EWPL (इक्विटी वेल्थ प्रा. लि.) द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे ग्राहकों के लिए नियम और शर्तें

“अग्री एंड कंटिन्यू” पर क्लिक करने पर, आपको इक्विटी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित प्लेटफॉर्म पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा

बैंक इस सेवा के प्रदान के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विवरण इक्विटी वेल्थ को प्रकट करेगा और “अग्री एंड कंटिन्यू” पर क्लिक करने पर यह माना जाएगा कि आपने बैंक को इक्विटी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवरण साझा करने के लिए सहमति दे दी है।

- o ग्राहक आईडी
- o पैन नंबर
- o ईमेल आईडी
- o मोबाइल फोन नंबर
- o खाता विवरण

एनआरआई (NRI) ग्राहकों के लिए:

- a. यदि उनका विवरण केआरए के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका तो ग्राहक डिजिटल केवाईसी (KYC) आरम्भ/पूरा नहीं कर पाएगा। वे ऐप में दिए गए संपर्क विवरण पर ग्राहक देखभाल से संपर्क कर सकते हैं।
- b. बैंक का प्रमाण आपके म्यूचुअल फंड निवेश खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। आप ऑनबोर्डिंग के दौरान अनुरोध किए जाने पर कैंसिल्ड चेक या अपना खाता बयान अपलोड कर सकते हैं।

यह केवल एक गैर-जोखिम भागीदारी आधार पर रेफरल सेवा है और बैंक किसी भी प्रकार से इक्विटी वेल्थ की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ इक्विटी वेल्थ द्वारा सुगम की जाती हैं और बैंक की भूमिका केवल भुगतान/फंड ट्रांसफर सुविधा प्रदान करने तक सीमित है।

ये नियम और शर्तें फेडमोबाईल नियम और शर्तों के पूरक हैं और इन्हें फेडमोबाईल नियम और शर्तों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

सेवाओं का लाभ उठाने पर, यह माना जाएगा कि आपने [नियम और शर्तें](#) स्वीकार कर ली हैं।

B. बैंक वेल्थ प्लेटफॉर्म के नियम और शर्तें – फेडरल एआरएन.

नियम और शर्तें:

फेडमोबाईल के माध्यम से फेडरल बैंक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तक पहुँच कर, आप निम्नलिखित से सहमत होते हैं:

- 1 फेडरल बैंक स्वतंत्र रूप से या तीसरा पक्ष सेवा प्रदाता और वितरकों के साथ सहयोग में वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ प्रदान करता है, और निवेश यात्रा पर पूर्ण नियंत्रण व निगरानी सुनिश्चित करता है।
- 2 आपके वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तक पहुँचने और इसके उपयोग से बैंक लागू कानूनों और नियामक मानदंड के अनुसार आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को इकट्ठा, संसाधित और संग्रहीत करेगा।
- 3 बैंक आपके डेटा को केवल वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नियामित तीसरा पक्ष की संस्थाओं (उदा., एएमसी, आरटीए आदि) के साथ साझा कर सकता है, जो लागू डेटा संरक्षण और बैंकिंग कानूनों के अनुरूप होगा।
- 4 आपने निवेश करने से पहले की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अन्य लागू दस्तावेज़ पढ़ लिए हैं।
- 5 वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिये गए सभी निवेश निर्णय केवल आपके विवेकाधिकार एवं जोखिम पर किये जाएंगे। बैंक किसी भी परिस्थितियों में निवेश परामर्श, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ या वित्तीय योजना प्रदान करने वाला माना नहीं जाता और न ही माना जाएगा।
- 6 बैंक अनुसंधान सामग्री, फंड तुलना, या जोखिम प्रोफाइलिंग उपकरण प्रदर्शित कर सकता है या उनकी पहुँच सुगम करवा सकता है, जो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की सिफारिश या सलाह के रूप में नहीं माने जाएंगे। किसी भी उत्पाद में निवेश करने का अंतिम निर्णय पूरी तरह से आपके पास है, जब आपने उत्पाद दस्तावेजों की समीक्षा कर ली हो, जोखिम कारकों का आकलन कर लिया हो और आवश्यक होने पर स्वतंत्र सलाहकारों से परामर्श कर लिया हो।
- 7 बैंक उन किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष या परिणामी हानियों या नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए निवेश निर्णयों के कारण आपको हुए हों। बैंक बाज़ार में उतार-चढ़ाव, तीसरे पक्ष की देरी या प्रणालीगत विफलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

आगे बढ़ने पर, आप इन नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार और मान्य करते हैं।

व्यापारी सेवाएँ

फ्लाइट्स, होटल्स, बस और गिफ्ट वाउचर्स मॉड्यूल के लिए, ऐप CDNA टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("CDNA") के व्यापारी एसडीके की ओर पुनः निर्देशित करेगा। "एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करने पर, आपको तीसरा पक्ष द्वारा नियंत्रित एक प्लेटफॉर्म पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा [सीडीएनए टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("CDNA") जिसका ब्रांड नाम "न्यूक्लैर" है]।

"एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करके, आप बैंक को स्पष्ट रूप से अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि निम्नलिखित विवरण Nuclei को प्रकट किए जाएँ, ताकि वह आपको फ्लाइट्स, होटल, बस और गिफ्ट वाउचर्स से संबंधित सेवाएँ प्रदान कर सके:

- मोबाइल फोन नंबर
- डिवाइस आईडी

प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ न्यूक्ली द्वारा सुगम की जाती हैं और फेडरल बैंक की भूमिका केवल भुगतान/फंड ट्रांसफर सुविधा प्रदान करने तक सीमित है। आपका प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का उपयोग प्लेटफॉर्म की सेवाओं के नियम और शर्तों के तहत शासित होगा, जो <https://gonuclei.com/terms-condition> पर उपलब्ध हैं; कृपया इन्हें पढ़ें और पुष्टि करें। "एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करने पर यह माना जाएगा कि आपने उक्त प्लेटफॉर्म की नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और आपने इन्हें स्वीकार कर लिया है।

न्यूक्लैर ने होटलों और फ्लाइट्स के लिए क्लियरट्रिप, बस के लिए रेडबस और गिफ्ट वाउचर्स के लिए क्लिकसिल्वर के साथ साझेदारी की है।

नियम और शर्तें-फास्टैग

फास्टैग

ये नियम और शर्तें द फेडरल बैंक लिमिटेड ("फेडरल बैंक" या "बैंक") द्वारा प्रदान की जाने वाली फास्टैग सुविधा पर लागू होते हैं और उसके प्रावधानों को विनियमित करते हैं। ये नियम और शर्तें (इसके बाद "नियम और शर्तें") बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य शर्तों के अतिरिक्त होंगी तथा उनसे किसी भी प्रकार से घटती नहीं होंगी।

1. परिभाषाएँ

इन नियम और शर्तों में, जब तक कि किसी विषय या संदर्भ के विरुद्ध कुछ न हो, निम्नलिखित शब्द / अभिव्यक्तियों का अर्थ यहाँ नीचे निर्दिष्ट अनुसार होगा:

"अफिलिएट" का अर्थ है तथा इसमें शामिल है कोई भी कंपनी जो बैंक की होल्डिंग या सहायक कंपनी हो, या कोई व्यक्ति जो बैंक के नियंत्रण में हो या बैंक के साथ सामान्य नियंत्रण में हो, या कोई भी व्यक्ति जिनके वोटिंग प्रतिभूतियों के 26% से अधिक में बैंक की प्रत्यक्ष या लाभकारी रुचि या नियंत्रण हो। इस क्लॉज़ के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" का अर्थ, जब किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हो और इसके व्याकरणिक रूपों सहित, ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों का निर्देशन करने में सक्षम बनाती है, चाहे वह मताधिकार-धारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व, अनुबंध या किसी अन्य माध्यम से हो; और "व्यक्ति" से आशय है कोई कंपनी, निगम, साझेदारी, ट्रस्ट या कोई अन्य इकाई या संगठन अथवा कोई भी अन्य निकाय।

"आवेदन" या "टैग आवेदन" का अर्थ उस आवेदन से होगा जो ग्राहक द्वारा बैंक को टैग जारी करने के लिए किया गया हो। आवेदन बैंक द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में किया गया लिखित या ऑनलाइन आवेदन होगा तथा यह इन नियम और शर्तों का अभिन्न अंग होगा।

"कनसेशनधारी" का अर्थ है वह व्यक्ति/संस्था जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा उस हाईवे का निर्माण, रखरखाव और टोल लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

"National Highway" का अर्थ उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से होगा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम सक्रिय है।
दायित्व का अस्वीकरण: बैंक को सूची से टोल प्लाज़ाओं को संशोधित, परिवर्तित, जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

"टैग" का तात्पर्य बैंक द्वारा जारी प्रीपेड फास्टैग से है।

"फेडमोबाइल" का अर्थ होगा बैंक द्वारा प्रदान की गई मोबाइल बैंकिंग सुविधा का एक एप्लिकेशन, जो ग्राहकों को उनके खाता(ओं) से संबंधित जानकारी, लेन-देन विवरण और बैंक द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाओं सहित निर्दिष्ट बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

"फेडमोबाइल ऐप" का अर्थ होगा एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन जो मोबाइल बैंकिंग लेन-देन करने के लिए है; इसके बाद मोबाइल ऐप के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

"टैग खाता" का अर्थ होगा टैग सदस्य के नाम पर खोला गया और यहाँ निहित नियम और शर्तों के अनुसार टैग के उपयोग के उद्देश्य के लिए फेडरल बैंक द्वारा प्रबंधित किया गया खाता।

"टैग सदस्य/सदस्य" का अर्थ होगा वह व्यक्ति या कॉर्पोरेट संस्था जो टैग के जारीकरण के लिए आवेदन करता/करती है, तथा जिसे बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली नियम और शर्तों के अधीन टैग जारी किया गया हो और जिसे टैग रखने तथा उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो।

"टैग वेबसाइट" का आशय www.federalbank.co.in है, जिसका स्वामित्व, संचालन और रख-रखाव बैंक द्वारा किया जाता है।

“टोल प्लाजा” का अर्थ होगा ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें कंसेशनरी द्वारा बनाए/संचालित किया जाता है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, जिनके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को राजमार्ग के उपयोग के लिए वाहन पर लागू टोल राशि का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

“लेन-देन” का आशय होगा किसी भी टैग लेन-देन/स से जो टैग सदस्य/स द्वारा इन नियम और शर्तों के तहत किया जाता है, जिसमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, टैग में धन का लोड या रीलोड; टैग शेष पूछताछ और/या ऐसे अन्य उपयोग शामिल हैं जिनकी अनुमति बैंक समय-समय पर लिखित रूप में दे सकता है।

“बयान/बयानों” का अर्थ होगा वह संचार जो टैग सदस्य द्वारा फेडरल बैंक को प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर त्रैमासिक आधार पर टैग सदस्य को भेजा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ किए गए लेन-देने और टैग खाते में उपलब्ध शेष राशि का उल्लेख होता है।

“Customer Care” का अर्थ है बैंक द्वारा टैग सदस्य/सदस्यों को टैग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए पूरे दिन प्रदान की जाने वाली टेलीफोनिक ग्राहक सेवा सुविधा।

व्याख्या

- यहाँ एकवचन के सभी संदर्भ बहुवचन के लिए भी लागू होंगे और इसके विपरीत भी; तथा शब्द “इंक्यूड्स” को “विदआउट लिमिटेशन” के अर्थ में समझा जाएगा।
- किसी भी लिंग का उल्लेख करने वाले शब्द अन्य लिंग को भी शामिल करते हैं।
- किसी भी अधिनियम, अध्यादेश या अन्य कानून का संदर्भ सभी नियमों और अन्य विधिक साधनों तथा उनके सभी समेकन, संशोधन, पुनः-प्रवर्तन या प्रतिस्थापन सहित होगा जो उस समय लागू हों।
- संदर्भ की सुविधा हेतु केवल शीर्षक, बोल्ड टाइपिंग और इटैलिक्स (यदि कोई हों) डाले गए हैं; न तो ये किसी सीमा को परिभाषित करते हैं और न ही ये इन नियम और शर्तों के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित करते हैं।
- जनरल क्लॉजेस एक्ट में निर्धारित व्याख्या के नियम, जब तक कि वे इसके विषय या संदर्भ के साथ विरोधाभासी न हों, इन नियम और शर्तों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि इन्हें यहाँ सम्मिलित किया गया हो।

शर्तों की प्रयोज्यता

टैग सदस्य को इन नियम और शर्तों के साथ बिना शर्त सहमत और इन्हें स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा यदि उसने बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप व तरीके में टैग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, या कोई लेन-देन किया हो, या टैग स्वीकार किया हो।

टैग जारी करना

नए टैग के लिए आवेदन:

ग्राहक बैंक की फेडमोबाईल/वेबसाइट का उपयोग करके टैग के लिए लिखित रूप में या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। फेडरल बैंक ग्राहक के अनुरोध पर और ग्राहक द्वारा आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज़ (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन, जैसा लागू हो) प्रस्तुत करने तथा इस संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित रूप और तरीके में लागू नियम और शर्तें स्वीकार करने पर ग्राहक को टैग जारी कर सकता है। बैंक को यह अधिकार है कि वह इन आवेदनों तथा अन्य लेन-देनों और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियों का रिकार्ड रखे/रख-रखाव करे, ऐसी पद्धति में जो बैंक उपयुक्त समझे। बैंक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेज़ों की समीक्षा/सत्यापन करेगा और आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। यदि ग्राहक द्वारा आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया हो और आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो, तो टैग ग्राहक को जारी कर दिया जाएगा। यदि आवेदन ऑनलाइन किया गया हो, तो बैंक के शिपमेंट पार्टनर के माध्यम से टैग को टैग सदस्य द्वारा आवेदन करते समय दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। शिपमेंट को टैग सदस्य तक पहुँचने में 7-10 दिन लग सकते हैं। यदि शिपमेंट में अधिक समय लगता है, तो टैग सदस्य बैंक से संपर्क कर सकता है। बैंक के पास ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी या सभी दस्तावेज़ों को आरबीआई या अन्य नियामकों, वैधानिक/न्यायिक प्राधिकरणों के साथ जब भी

माँगा जाए, ग्राहक की ऐसी प्रकटीकरण के लिए कोई पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना साझा/प्रकटीकरण करने का अधिकार है।

जब आवेदन फेडमोबाईल के माध्यम से जमा किया जाता है, तो ग्राहक के पते पर भेजा गया टैग तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि टैग सदस्य फेडमोबाईल का उपयोग करके उसे मैन्युअल रूप से सक्रिय न कर दे।

बैंक द्वारा टैग सदस्य को जारी किया गया टैग, टैग सदस्य द्वारा आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए आवेदन और आरसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट लाइसेंस प्लेट नंबर वाले टैग सदस्य के वाहन पर अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। टैग हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और केवल उस वाहन के संबंध में उपयोग किया जा सकता है जिस पर टैग चिपकाया गया है। बैंक/ एनपीसीआई के पास यह अधिकार है कि टैग को ब्लैकलिस्ट/ब्लॉक किया जाए या टैग का समापन कर दिया जाए यदि पाया जाता है कि इसका दुरुपयोग हुआ है और/या यह उस वाहन में लगाया गया है जिसे टैग जारी नहीं किया गया था।

टैग जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, टैग सदस्य को इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक में विस्तार से वर्णित तथा समय-समय पर लागू होने वाली टैग फीस और सिक्वोरिटी डिपॉजिट (जमा) का भुगतान करना होगा। टैग पर लोड की जा सकने वाली अधिकतम राशि रु. 100,000/- (रु. एक लाख मात्र) या ऐसा अन्य सीमा जो बैंक द्वारा आंतरिक एवं लागू नियामक मानदंड और वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है। टैग को सक्रियण के बाद अधिकतम टैग शेष रु. तक रीलोड किया जा सकता है। एक लाख (100,000)। टैग को न तो रीलोड किया जा सकता है (बाद के नकद लोड) और न ही प्रारंभिक लोड की गई धनराशि तक टैग सदस्य की पहुँच टैगसक्रिय होने तक संभव नहीं होगी। टैग धारक केवल उसी सीमा तक टैग का उपयोग कर सकेगा जो किसी भी दिए गए समय पर टैग खाते में उपलब्ध राशि के बराबर हो। यदि टैग सदस्य के पास एकाधिक टैग हैं, तो सभी टैगों के तहत उपलब्ध संचयी शेष राशि को ऊपर उल्लिखित सीमा प्रतिबंध की मान्यता के लिए एक साथ माना जाएगा।

टैग बैंक द्वारा आवेदन की मंजूरी के अधीन सक्रिय किया जाएगा और इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक में उल्लिखित न्यूनतम राशि टैग सदस्य द्वारा टैग पर लोड की जानी चाहिए। टैग पर धनराशि टैग का लाभ लेने के लिए टैग सदस्य द्वारा बैंक को देय लागू चार्ज/फीस आदि की कटौती के बाद ही लोड की जाएगी। टैग धारक इन नियम और शर्तों तथा टैग से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति बैंक द्वारा टैग जारी किए जाने की गारंटी नहीं है। टैग जारी किए जाना ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की समीक्षा और मंजूरी के अधीन है। बैंक अपने एकतरफा विवेक पर बिना किसी कारण बताए आवेदन स्वीकार करने या टैग को टैग सदस्य को जारी करने से इनकार कर सकता है।

टैग की विशेषताएँ

टैग का उपयोग हाईवे पर प्रतिभागी टोल प्लाजा पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लेन के माध्यम से लागू टोल भुगतान करने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है (जैसा कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक हो सकता है)। भाग लेने वाले टोल प्लाजा की सूची < href="https://www.federalbank.co.in/netc" target="_blank">https://www.federalbank.co.in/netc पर अपडेट की जाएगी। बैंक द्वारा टैग पर उपलब्ध/लोड की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

टैग सदस्य फेडमोबाईल का उपयोग करके अपने टैग को (सक्रिय करना, री-लोड और पुनः जारी करना) प्रबंधित कर सकेगा/सकेगी, बशर्ते कि यह नियम और शर्तों के अधीन हो। टैग सदस्य बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उनकी पहचान के सत्यापन और किसी भी अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के अधीन FASTag नामांकन केंद्रों पर टैग को लोड और रीलोड कर सकते हैं तथा/या उन्हें प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके टैग वेबसाइट में लॉग इन करने के बाद टैग सदस्यों के लिए उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से टैग रीलोड कर सकते हैं, या सदस्य फेडमोबाईल का उपयोग करके टैग रीलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड टैग सदस्य को प्रदान किया जाएगा ताकि वह <https://www.federalbank.co.in/netc> पर जाकर टैग रीलोड कर सके। टैग सदस्य को सलाह दी जाती है कि वह इस उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड को किसी अन्य को न प्रकट करे। टैग सदस्य फेडमोबाईल का उपयोग करके ऐसे टैग को रीलोड करने में सक्षम होगा जो उसका नहीं है; हालांकि रीलोड किया जाने वाला टैग फेडरल बैंक द्वारा जारी किया गया है। ऐसे रीलोड्स पर नियम और शर्तों में उल्लिखित सीमाएँ और अन्य शर्तें लागू होंगी। गैर-टैग सदस्य अपनी टैग्स पर कियोस्कों

के माध्यम से राशि भी रिनलोड कर सकते हैं, बशर्ते उनकी पहचान के सत्यापन और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया गया हो। न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि, वार्षिक लोड सीमा तथा लोडिंग और रीलोडिंग की आवृत्ति से संबंधित सीमाएँ बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार लागू होंगी। कैश लोडिंग/रीलोडिंग सुविधा बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक लागू चार्जों के अधीन है। बैंक द्वारा सक्रियण के बाद टैग पर लोड की गई राशि तुरंत टैग सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है।

यदि फेडमोबाईल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करके खरीदा गया फास्टैग टैग डेटा करप्शन, टैग की शारीरिक क्षति आदि के कारण खो गया हो या पढ़ने योग्य न हो, तो ग्राहक फेडमोबाईल के माध्यम से फास्टैग को पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। बैंक, अपने विवेकानुसार और अपने आंतरिक नियमों के अधीन, ग्राहक को जारी किए गए पिछले फास्टैग को निष्क्रिय/ब्लॉक करने के बाद फास्टैग को पुनः जारी करेगा। हालाँकि, टैग को पुनः जारी करने की सुविधा बैंक द्वारा किसी ग्राहक को केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

खोए हुए या चोरी हुए टैग

यदि टैग खो गया या चोरी हो गया है, तो टैग सदस्य को स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए और बैंक के अनुरोध पर पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। टैग सदस्य को खोने/चोरी की सूचना तुरंत टेलीफोन पर ग्राहक देखभाल को देनी होगी और/या कियोस्क पर शिकायत दर्ज करानी होगी। ग्राहक देखभाल पर्याप्त सत्यापन के बाद, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद अगले कार्यदिवस के कार्यकाल में और टैग सदस्य के अनुरोध पर टैग को हॉटलिस्ट/रद्द/निलंबित कर देगी तथा उससे संबंधित सभी सुविधाएँ समाप्त कर देगी और इस संबंध में टैग सदस्य को हुई किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। टैग सदस्य इस बात का ध्यान रखेगा कि एक बार टैग खो जाने या चोरी की सूचना दी जाने पर और बाद में वह मिल जाने पर, उसे तुरंत आधा काट दिया जाना चाहिए और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। टैग सदस्य टैग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। टैग सदस्य टैग खो /चोरी की सूचना दिए जाने तक टैग पर लगे सभी चार्जों के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक द्वारा यह निर्धारित किए जाने पर कि उपर्युक्त कदमों का अनुपालन नहीं किया गया है, खोए हुए या चोरी हुए टैग के संबंध में वित्तीय दायित्व टैग सदस्य पर रहेगा। यदि रिपोर्टिंग के समय और/या टैग पर किए गए लेन-देन से संबंधित या उक्त टैग से संबंधित किसी अन्य मामले में कोई विवाद हो, तो बैंक विवादित लेन-देन के समय और/या उसकी प्रामाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। यदि टैग सदस्य द्वारा दावा किए जाने के बाद भी टैग पर लेन-देन होते हैं कि उसने टैग नष्ट कर दिया है, तो ऐसे टैग पर हुए किसी भी चार्ज के लिए टैग सदस्य पूरी तरह उत्तरदायी होगा और किसी भी परिस्थिति में बैंक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

टैग्स की वापसी/प्रतिस्थापन

टैग, जो टैग सदस्य को जारी किया गया है, बैंक की संपत्ति बनी रहेगी और अनुरोध करने पर इसे बैंक को सौंप दिया जाएगा। टैग सदस्य उस स्थिति में टैग रद्द करने के हेतु बैंक को टैग लौटाने के लिए उत्तरदायी होगा यदि टैग सदस्य को सेवाएँ अब आवश्यक न हों या किसी भी कारण से बैंक द्वारा सेवाएँ वापस ले ली जाएँ।

यदि टैग खो जाए, तो टैग सदस्य ग्राहक देखभाल 1800- 266- 9520 (टोल फ्री) पर कॉल करके और कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके टैग को ब्लॉक कर सकता है, जैसा कि "खोए या चोरी हुए कार्ड" शीर्षक वाली धारा में अधिक विशिष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

एक बार किसी टैग के खोने या चोरी होने की सूचना दी जाने पर, वह टैग बाद में मिल जाने पर भी पुनः उपयोग नहीं किया जा सकेगा। टैग सदस्य यह घोषणा करता है कि यदि कोई टैग खोने या चोरी होने की रिपोर्ट की जाती है या वह क्षतिग्रस्त हो या चोरी हो, और बाद में वह मिल जाता है, तो उस टैग को तत्परता से बैंक को वापस करना टैग सदस्य की जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार, यदि कोई टैग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो टैग सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह टैग खाता बंद करने के लिए क्षतिग्रस्त टैग बैंक को वापस करे।

टैग सदस्य की मृत्यु के मामले में, बैंक को इसकी सूचना मिलते ही टैग रद्द कर दिया जाएगा। टैग सदस्य के कानूनी वारिस बैंक की नीति/प्रक्रिया के अनुसार टैग पर उपलब्ध शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं।

समाप्ति और समापन

टैग जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा। बैंक किसी भी समय, सूचना के साथ या बिना, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार में टैग को समाप्त/रद्द कर सकता है।

यदि टैग खाता नकारात्मक शेष राशि के साथ 6 महीनों की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहता है, तो टैग खाता टैग सदस्य को पूर्व सूचना देकर बंद कर दिया जाएगा और संबंधित टैग को किसी भी टोल प्लाजा पर टोल भुगतान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टैग के समापन पर, उस समय के सभी बकाया चार्जों का कुल योग, चाहे वे बयान में पहले से परिलक्षित हों या नहीं, तथा समापन के बाद हुए किसी भी चार्ज की राशि, ऐसे मान कर तुरंत टैग सदस्य पर देय और भुगतान योग्य हो जाएगा, मानो वे चार्ज इसी प्रकार बयान में परिलक्षित किए गए हों; और उस पर समय-समय पर बैंक की नीति/प्रक्रिया के अनुसार लागू होने वाला ब्याज लगेगा।

टैग सदस्य समापन से पहले टैग पर हुए सभी चार्ज के लिए बैंक के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।

टैग के समापन की अधिसूचना या टैग सौंपने का अनुरोध तब दिया हुआ माना जाएगा जब बैंक के रिकार्ड के अनुसार टैग सदस्य के मेलिंग पते/ईमेल आईडी पर भेजी गई अधिसूचना टैग सदस्य को साधारण डाक/ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। टैग सदस्य, ऐसा करने का अनुरोध किए जाने पर, टैग को बैंक या उसके प्रतिनिधि को सौंपने के लिए सहमत है। टैग सदस्य को समापन की सूचना प्राप्त होने के बाद टैग का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

उपयोग दिशानिर्देश

उक्त टैग केवल भारत में मान्य है और केवल उन भुगतानों के संबंध में है जो भारतीय रुपया (INR) में किए जाने आवश्यक हैं। टैग सदस्य हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि टैग सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और किसी भी परिस्थिति में टैग को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति न दी जाए। टैग सदस्य बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उनसे संबंधित सभी चार्जों के लिए जिम्मेदार होगा तथा टैग और बैंक के साथ होने वाले सभी लेनदेन में सद्भावपूर्वक कार्य करेगा। बैंक किसी भी कंसेशनरी द्वारा लगाए गए और टैग पर उपलब्ध शेष राशि से लेन-देन राशि के साथ डेबिट किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता। किसी भाग लेने वाले टोल प्लाजा पर किया गया कोई भी लेन-देन यह निर्णायक प्रमाण होगा कि उस अनुरोध पर दर्ज चार्ज उचित रूप से उक्त राशि के लिए और टैग का उपयोग करने वाले टैग सदस्य द्वारा किए गए थे, सिवाय इसके कि टैग खो गया हो, चोरी हो गया हो या धोखाधड़ीपूर्वक दुरुपयोग किया गया हो – जिनके प्रमाण का बोझ टैग सदस्य पर होगा।

टैग सदस्य टैग के उपयोग द्वारा आरंभ किए गए सभी लेन-देन के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि यहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। प्रत्येक बार जब टैग सदस्य भाग लेने वाले टोल प्लाजा पर टैग का उपयोग करता है, वह बैंक को अधिकृत करता है कि टैग खाता में उपलब्ध धनराशि को उस लेन-देन की राशि से घटा दिया जाए। टैग सदस्य को किसी भी व्यक्तिगत लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला के माध्यम से टैग खाते में उपलब्ध राशि से अधिक लेन-देन करने की अनुमति नहीं है। फिर भी, यदि कोई लेन-देन टैग खाता में उपलब्ध निधियों की शेष राशि से अधिक है, तो टैग सदस्य उस लेन-देन की राशि के लिए बैंक के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा। बैंक किसी भी ऋणात्मक शेष के लिए टैग सदस्य को बिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। टैग सदस्य बैंक को ऋणात्मक शेष की राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत है। बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि यदि टैग सदस्य द्वारा टैग के साथ एक या अधिक नकारात्मक शेष उत्पन्न किए जाते हैं तो बैंक टैग को रद्द/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने आप पर टैग पर किए गए लेन-देन अनुरोधों को पूरा करने से इनकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है, बिना किसी कारण बताए। टैग सदस्य धारक इस बात से सहमत है कि वह किसी भी अवैध/अनधिकृत खरीद या उद्देश्यों के भुगतान के लिए फास्टैग का उपयोग नहीं करेगा।

बंद करना

टैग सदस्य किसी भी समय किसी भी टैग नामांकन केंद्र/फेडरल बैंक शाखा पर जाकर और इस संदर्भ में बैंक की नीति/प्रक्रिया द्वारा आवश्यक ऐसे दस्तावेज़ जमा करके टैग खाता बंद करने का अनुरोध कर सकता है। टैग सदस्य से यह

भी आवश्यक होगा कि वह टैग को प्राधिकृत बैंक कर्मियों को लौटाए। उसके बाद, संबंधित टैग खाता में शेष राशि (यदि कोई हो) बंद करने के अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर केवल टैग सदस्य के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

बयान और रिकार्ड

टैग सदस्य फेडमोबाइल, वेब पोर्टल का उपयोग करके या ग्राहक देखभाल को कॉल करके अपने टैग पर शेष के बारे में पूछताछ कर सकता है। प्रत्येक लेन-देन के बाद टैग सदस्य को टैग सदस्य द्वारा बैंक में पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर शॉर्ट मेसेजिंग सिस्टम (एसएमएस) द्वारा एक संदेश भी प्राप्त होगा, जो उसे लेन-देन मूल्य की सूचना देगा। यदि टैग खाता के लेन-देन/विवरण में कोई अनियमितताएँ या विसंगतियाँ हों, तो टैग सदस्य को 15 दिनों के भीतर बैंक को लिखित में सूचित करना होगा। यदि बैंक को 15 दिनों के भीतर इसके विपरीत कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक यह मान लेगा कि लेन-देन सही हैं। बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में रखे गए टैग सदस्य के निर्देशों और ऐसी अन्य जानकारियों (जिसमें, पर सीमित नहीं, किए गए या प्राप्त भुगतान शामिल हैं) के सभी रिकार्ड, इन नियम और शर्तों के अनुसार, टैग सदस्य के विरुद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसी अन्य जानकारियों के निर्णायक साक्ष्य माने जाएंगे।

बैंक को लेन-देन के संबंध में टैग सदस्य को लेन-देन स्लिप्स की प्रतियाँ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी और टैग सदस्य बैंक के साथ टैग सदस्य द्वारा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर केवल शॉर्ट मेसेजिंग सिस्टम (एसएमएस) संदेशों के रूप में लेन-देन अलर्ट प्राप्त करेगा।

दायित्व से छूट

टैग सदस्य, बैंक द्वारा टैग की सुविधा प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में, इसके द्वारा बैंक को किसी भी और सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, नुकसानों, व्यक्तिगत चोट, लागतों, शुल्कों और व्ययों से क्षतिपूर्ति करने और बैंक को क्षतिपूर्ति युक्त बनाए रखने के लिए सहमत है, जो भी बैंक किसी भी समय वहन, सहन, भुगतान या भुगतान के लिए बाध्य हो सकता है, चाहे वे टैग सदस्य को उक्त टैग की सुविधा उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप हों, या बैंक द्वारा सद्भावना से कार्य करने, टैग सदस्य के निर्देशों पर कार्रवाई करने, करने से इन्कार करने या कार्रवाई न करने के कारण उत्पन्न हों; और विशेषतः वे जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टैग सदस्य की लापरवाही, गलती या दुराचार से; टैग से संबंधित नियम/नियम और शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन न करने से तथा/या टैग सदस्य द्वारा किसी भी लेन-देन से सम्बन्धित धोखाधड़ी या बेईमानी से उत्पन्न हों। टैग सदस्य बैंक को टैग के गलत स्थान पर रखे जाने/खो जाने के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए सम्पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, बैंक टैग सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार की देयता वहन नहीं करेगा जो सीधे या परोक्ष रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न किसी भी हानि या क्षति से संबंधित हो:

- किसी तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति किए गए माल या सेवाओं की गुणवत्ता में कोई भी दोष।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा टैग का सम्मान करने या उसे स्वीकार करने से इनकार।
- किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में खराबी।
- फेडरल बैंक के परिसर या कियोस्क पर टैग सदस्य द्वारा टैग को फेडरल बैंक के नामित कर्मचारियों के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को सौंपना।
- शिपमेंट पार्टनर द्वारा फास्टैग की आपूर्ति में किसी भी देरी और/या शिपमेंट पार्टनर द्वारा आपूर्ति किए गए फास्टैग को हुए किसी भी नुकसान।
- ग्राहक की उपयोगकर्ता आईडी या पासवर्ड से समझौता करना
- बैंक द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से भेजे गए फास्टैग का परिवहन के दौरान हानि और/या प्राप्त न होना।
- टैग गलत तरीके से संलग्न किए जाने, टैग डेटा के भ्रष्ट होने, टैग को भौतिक क्षति पहुंचने और/या किसी भी अन्य कारण से अपठनीय हो जाना।

- बैंक द्वारा समाप्ति तिथि से पहले टैग के समर्पण की मांग करने और उसे प्राप्त कराने के अपने अधिकार का प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और समर्पण बैंक द्वारा किए गए हों या किसी अधिकृत व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा कराए गए हों।
- फेडरल बैंक द्वारा टैग को समापन/रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग।
- किसी भी टैग सदस्य की साख, चरित्र और प्रतिष्ठा को हुए कोई भी नुकसान जो कथित तौर पर टैग के पुनः कब्जा किए जाने, और/या इसके लौटाने के लिए किसी भी अनुरोध, या किसी भी टोल प्लाजा द्वारा टैग को मान्यता देने या स्वीकार करने से इनकार के कारण हुआ हो।
- यदि फेडरल बैंक द्वारा प्रकट किए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयान, भ्रामक प्रस्तुति, त्रुटि या चूक हो—सिवाय उन मामलों के जहाँ कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक हो—और यदि फेडरल बैंक को कोई प्रक्रिया, समन, आदेश, निषेधाज्ञा, निष्पादन/डिस्ट्रेट (execution distraint), जब्ती/लिवी दावे (levy lien), जानकारी या सूचना प्राप्त होती है जो बैंक के अनुसार सद्भावपूर्वक टैग सदस्य की, या उस व्यक्ति की जिसकी टैग सदस्य द्वारा अधिकृत होने का दावा किया जा रहा है, टैग पर लेन-देन करने की क्षमता पर प्रश्न खड़ा करती/उठाती है, तो फेडरल बैंक अपनी छमाही पर और टैग सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व के बिना, टैग सदस्य को उसकी किसी भी राशि को प्राप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, अथवा ऐसी राशियाँ उपयुक्त प्राधिकरण को भुगतान कर सकता है और लागू कानून द्वारा आवश्यक अन्य कदम उठा सकता है। फेडरल बैंक के पास टैग पर उपलब्ध शेष राशि से सेवा शुल्क और बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले किसी भी खर्च (जिसमें पर सीमित नहीं, कानूनी फीस) काटने का अधिकार सुरक्षित है, यदि टैग सदस्य के टैग से संबंधित कानूनी कार्रवाई के कारण ऐसा करना आवश्यक हो।
- टैग की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके साथ किया गया कोई भी कृत्य।
- यदि टैग सदस्य से बकाया राशि के निपटान के लिए कोई माँग या दावा किया जाता है, चाहे वह फेडरल बैंक द्वारा हो या फेडरल बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो टैग सदस्य सहमत और स्वीकार करता है कि ऐसी माँग या दावा किसी भी प्रकार से मानहानि का कार्य या टैग सदस्य के चरित्र के विरुद्ध या उस पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कोई कार्य नहीं माना जाएगा।
- टैग हस्तांतरणीय नहीं है और वाहन की लाइसेंस प्लेट की तरह वाहन के लिए अद्वितीय है; इसे जारी किए जाने के समय अनिवार्य रूप से वाहन पर लगाया जाएगा और इसमें वह शेष होगा जो ग्राहक ने अपने टैग में लोड करने के लिए भुगतान किया है। ग्राहक को जारी टैग केवल भारत में उपयोग के लिए मान्य है और केवल भारतीय मुद्रा में टोल शुल्क के भुगतान हेतु ही मान्य होगा तथा केवल कार्यक्रम में भाग लेने वाले टोल प्लाजा पर ही स्वीकार किया जाएगा। भाग लेने वाले टोल प्लाजा की सूची टैग पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट की जाएगी।
- टैग फेडरल बैंक की संपत्ति है। यह यहाँ उल्लिखित नियम और शर्तें तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली कोई भी अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी। टैग सदस्य टैग जारी होते ही उसे वाहन पर तुरंत चिपकाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि टैग सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित सभी भुगतान रसीदों पर मौजूद हस्ताक्षर, फेडरल बैंक को प्रस्तुत किए गए टैग आवेदन फॉर्म पर दिए गए हस्ताक्षर के समान हों। यदि टैग सदस्य अपना हस्ताक्षर बदलना चाहता/चाहती है, तो वह बैंक को इसकी सूचना देगा/देगी और इस संबंध में बैंक तथा/या कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी।

उल्लंघन और समापन/निकासी

टैग सदस्य बैंक की मांग पर फेडरल बैंक को बैंक के प्रति अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

शुल्क

टैग को धारण करने और उपयोग करने पर चार्ज लागू होंगे जिन्हें टैग खाते में उपलब्ध शेष से डेबिट किया जाएगा। चार्जों का विवरण अनुलग्नक 1 में संलग्न है। उक्त चार्ज रिफंड योग्य नहीं हैं।

टैग के उपयोग के परिणामस्वरूप देय होने वाले किसी भी सरकारी शुल्क, ड्यूटी या डेबिट या कर की जिम्मेदारी टैग सदस्य की होगी और यदि ये फेडरल बैंक पर (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) थोपे जाते हैं, तो फेडरल बैंक ऐसे शुल्क, ड्यूटी या कर को टैग पर उपलब्ध शेष राशि से डेबिट कर देगा। ऐसी सुविधाओं के लिए, जिन्हें बैंक समय-समय पर घोषित कर सकता है, अलग सेवा शुल्क लगाए जाएंगे और टैग पर उपलब्ध शेष से कटेंगे। यदि टैग पर उपलब्ध शेष ऐसे चार्ज काटने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बैंक किसी भी आगे के लेन-देन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। टैग सदस्य फेडरल बैंक को अपने टैग पर उपलब्ध शेष राशि से कटौती करने का अधिकृत करता है तथा टैग से संबंधित, टैग सदस्य द्वारा बैंक को देय राशि की वसूली में बैंक को होने वाले किसी भी खर्च के लिए उस बैंक को क्षतिपूर्ति करता है (जिसमें बिना सीमित किए हुए उचित कानूनी फीस शामिल हैं)। फेडरल बैंक टैग के उपयोग के लिए सेवा और अन्य चार्ज लगा सकता है, जिनकी सूचना टैग सदस्य को समय-समय पर इन नियम और शर्तों को अद्यतन करके दी जाएगी। टैग सदस्य बैंक को अधिकृत करता है कि बैंक टैग से संबंधित वे सभी चार्ज, जिन्हें बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगा, टैग पर उपलब्ध शेष राशि को डेबिट करके वसूल कर सके। फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित लागू फीस और चार्ज का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

विवाद

किसी भी लेन-देन से संबंधित किसी भी शिकायत या प्रश्न की स्थिति में, टैग सदस्य फेडरल बैंक ग्राहक देखभाल से 1800-266-9520 (टोल-फ्री) पर संपर्क कर सकता है। यदि टैग सदस्य के पास किसी भी लेन-देन के संबंध में कोई विवाद हो, तो टैग सदस्य लेन-देन की तिथि से 7 दिनों के भीतर फेडरल बैंक को विवरण सूचित करेगा; ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी चार्ज टैग सदस्य के लिए स्वीकार्य और क्रम में हैं।

बैंक को शिकायत/प्रश्न की जांच और उत्तर देने में सक्षम बनाने के लिए, टैग सदस्य को बैंक को वह जानकारी प्रदान करनी होगी जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकती है। फेडरल बैंक ग्राहकों से किसी भी गोपनीय जानकारी का अनुरोध नहीं करेगा और इसलिए टैग सदस्य बैंक के साथ किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी साझा नहीं करेंगे, जिसमें परंतु सीमित न होकर पासवर्ड, उपयोगकर्ता आईडी आदि शामिल हैं।

बैंक की शिकायत प्रक्रिया के पूर्ण विवरण के लिए कृपया टैग वेबसाइट देखें। ग्राहक देखभाल के नंबर टैग वेबसाइट पर समय-समय पर अद्यतन किए जाने के अनुसार होंगे।

फेडरल बैंक असहमति की सूचना की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर आहत टैग सदस्य की लेन-देन से संबंधित असहमति का समाधान करने के लिए निष्ठापूर्ण और उचित प्रयास करेगा। यदि ऐसी कोशिशों के बाद फेडरल बैंक निर्धारित करता है कि सूचित लेन-देन सही है, तो वह इसे टैग सदस्य को विवरणों सहित सूचित करेगा, जिनमें सेल्स स्लिप या भुगतान अनुरोध की एक प्रति शामिल होगी।

शुल्क

नीचे उल्लिखित चार्ज परिवर्तन के अधीन हैं। सभी वाहन प्रकारों के चार्ज के लिए कृपया

<https://www.federalbank.co.in/general-terms-and-conditions> पर जाएँ। नीचे कार/एसयूवी/मिनी एलसीवी वाहन प्रकार के चार्ज दिए गए हैं।

नोट:

- उपरोक्त उल्लिखित सुरक्षा डिपॉजिट (जमा) दरें और सीमा फास्टैग खाता बंद करने के समय ग्राहक को वापस कर दी जाएँगी।
- लागू कर सभी प्रकार के टॉप-अप्स और लेन-देन पर वसूले जाएँगे।
- ग्रेशहोल्ड वैल्यू उस न्यूनतम रिचार्ज राशि को कहते हैं जिसे RFID टैग सक्रियण के समय किया जाना आवश्यक है और जिसे टोल प्लाजा पर डेबिट बिक्री लेन-देन करने हेतु बनाए रखना होगा।

- टोल राशि वाहन वर्ग और प्रयुक्त टोल प्लाजा के आधार पर लागू राशि के अनुरूप काटी जाएगी। ऊपर उल्लिखित चार्ज टैग सदस्य को किसी भी पूर्व सूचना दिए बिना परिवर्तन के अधीन हैं। प्रचलित चार्जों का संदर्भ <https://www.federalbank.co.in/general-terms-and-conditions> पर दिया जा सकता है।
- टैग डिपॉजिट (जमा राशि) वाहन वर्ग के अनुसार लागू होगी और आरएफआईडी टैग खाता बंद करने पर ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।
- सभी निर्धारित फीस और चार्जों पर सर्विस टैक्स लागू दरों के अनुसार लगाया जाएगा।
- ऑनलाइन रिचार्ज पर सुविधा शुल्क लागू हो सकता है।

ऐप लॉगिन के लिए टच आईडी या फेस आईडी

- ये नियम और शर्तें ("नियम") द फेडरल बैंक लिमिटेड ("बैंक" या "हम" या "फेडरल बैंक") द्वारा प्रदान की जाने वाली फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा के आपके उपयोग पर लागू होती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा का उपयोग करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने पर, या फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा का उपयोग करने पर, यह माना जाएगा कि आपने इन नियमों को स्वीकार कर लिया है और इनके साथ सहमत हैं। यदि आप इन नियम और शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप ऐप के सेटिंग्स अनुभाग से फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा को निष्क्रिय कर सकते हैं।
- फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा एक ऐसी सेवा है जहाँ आप बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपनी पहचान की पुष्टि हेतु अनुमत मोबाइल डिवाइस पर पंजीकृत अपनी फिंगरप्रिंट/फेस आईडी का उपयोग अपने फेडमोबाइल एमपिन के स्थान पर कर सकते हैं।
- फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है, और तदनुसार:
 - a. ये नियम और शर्तें बैंक के ग्राहक नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं तथा इन्हें हमारे बैंकिंग करार का हिस्सा बनने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज़ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा (और ग्राहक नियम और शर्तों के किसी भी संदर्भ में इन नियम और शर्तों का भी संदर्भ शामिल होगा); मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक नियम और शर्तें इस पते पर उपलब्ध हैं <https://www.federalbank.co.in/FedMobile-tc>
 - b. हमारे बैंकिंग करार में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ हमारे ग्राहक नियम और शर्तों में समझाया गया है। इन नियमों और शर्तों में संदर्भित सेवाओं पर लागू होने वाले कुछ अतिरिक्त प्रमुख शब्द इन नियमों और शर्तों के अंत में समझाए गए हैं; और
 - c. किसी भी संघर्ष या असंगति की स्थिति में, ये नियम और शर्तें ग्राहक नियम और शर्तों पर उसी सीमा तक प्राधान्य रहेंगी।
- आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि फेडमोबाइल टच आईडी/फेस आईडी लॉगिन सेवा का उपयोग करने के लिए:
 - a. आप फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के वैध उपयोगकर्ता होने चाहिए;
 - b. आपको फेडमोबाइल ऐप अनुमत मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल करना होगा, जो रूटेड या जेलब्रोकन न हो;

- c. आपको अपने अनुमत मोबाइल डिवाइस पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन फ़ंक्शन या फेस आईडी सक्रिय करनी होगी और अनुमत मोबाइल डिवाइस तक पहुँच नियंत्रित करने के लिए अपने चेहरे की विशेषताएँ या कम से कम अपनी एक फिंगरप्रिंट पंजीकृत करनी होगी।
 - d. आपको हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपने अनुमत मोबाइल डिवाइस पर संग्रहीत फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करने के विकल्प का चयन करने हेतु अपने फेडमोबाइल एमपिन का उपयोग करके एक पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होगा; सफल पंजीकरण प्रक्रिया के उपरान्त, आपके अनुमत मोबाइल डिवाइस पर संग्रहीत फिंगरप्रिंट/फेस आईडी विवरण फेडमोबाइल ऐप में लॉगिन के लिए एक सुरक्षा कोड के रूप में उपयोग किए जाएँगे;
 - e. आप सुनिश्चित करेंगे कि केवल आपके फिंगरप्रिंट/फेस आईडी विवरण ही आपके अनुमत मोबाइल डिवाइस पर डिवाइस तक पहुँच के लिए संग्रहीत हों, और आप समझते हैं कि आपके अनुमत मोबाइल डिवाइस के सफल पंजीकरण पर आपके अनुमत मोबाइल डिवाइस पर संग्रहीत कोई भी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी (जहाँ लागू हो) मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आपके बैंक खातों तक पहुँच भी शामिल है; और
 - f. आपको अनुमत मोबाइल डिवाइस पर अपनी फिंगरप्रिंट/फेस आईडी रजिस्टर करने के लिए उपयोग किए गए सुरक्षा कोड तथा पासवर्ड या कोड (एमपिन) की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- आप अभी भी अपने फेडमोबाइल एमपिन का उपयोग करके मोबाइल ऐप तक पहुँचने का विकल्प चुन सकते हैं।
 - हर बार जब फेडमोबाइल मोबाइल ऐप किसी अनुमत मोबाइल डिवाइस पर पंजीकृत फिंगरप्रिंट/फेस के उपयोग का पता लगाती है (जिसका उपयोग करके आपने फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा के लिए पंजीकरण किया है ताकि हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें या लॉगिन को अधिकृत कर सकें), तब आपको ऐसा माना जाएगा कि आपने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर ली है और/या आपने हमें, जहाँ लागू हो, ऐसे लेन-देन करने के निर्देश दे दिए हैं।
 - आप यह स्वीकार करते हैं कि प्रमाणीकरण फेडमोबाइल मोबाइल ऐप द्वारा अनुमत मोबाइल डिवाइस पर फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण मॉड्यूल के साथ इंटरफेस करके किया जाता है और आप ऐसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए सहमति देते हैं। इसके अलावा, आप बैंक को ऐसी बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुँचने और उसका उपयोग करने की सहमति देते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट और/या चेहरे के पैटर्न शामिल हैं, ताकि फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा प्रदान की जा सके।
 - आप फेडमोबाइल में साइन इन होने के बाद बाएँ नेविगेशन मेनू का उपयोग करके किसी भी समय फेडमोबाइल की टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके लिए App Settings>Manage Login>Fingerprint (Android डिवाइस) और App Settings>Manage Login>Face ID (iOS डिवाइस जहाँ फेस आईडी उपलब्ध है) पर जाएँ।
 - यदि आप हमें सूचित करते हैं कि आपकी फिंगरप्रिंट या किसी अन्य सुरक्षा कोड की सुरक्षा भंग हो गई है, तो हम आपसे यह आवश्यक कर सकते हैं कि आप एप्लिकेशन की पहुँच अवरुद्ध कर दें या लॉगिन के लिए उपयोगकर्ता का पंजीकरण निरस्त कर दें।
 - आप समझते हैं कि अपने अनुमत मोबाइल डिवाइस की सुरक्षा आवश्यक है और फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा तक पहुँचने के लिए आपके अनुमत मोबाइल डिवाइस के सभी उपयोग (चाहे वे आपके द्वारा अधिकृत हों या न हों) के लिए आप जिम्मेदार होंगे।
 - ग्राहक नियम और शर्तों में निहित अस्वीकरण और दायित्व के अपवादों के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भी स्वीकार करते हैं:

- आप समझते हैं कि अनुमत मोबाइल डिवाइस का फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, और बैंक किसी भी अनुमत मोबाइल डिवाइस के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फ़ंक्शन की सुरक्षा तथा यह कि यह उस तरीके से काम करता है जैसा कि उस डिवाइस का निर्माता दावा करता है, उसके बारे में कोई प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं देता।
- हम यह प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं करते कि फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा हर समय सुलभ होगी, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सॉफ़्टवेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के साथ काम करेगी जिन्हें हम समय-समय पर प्रदान कर सकते हैं।
- जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो, फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा के आपके उपयोग या उपयोग के प्रयास, आपके निर्देशों, या फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा के माध्यम से या इसके संबंध में किसी भी अनधिकृत लेनदेन से संबंधित किसी भी हानि या क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।
- आप इस प्रकार सहमत हैं कि फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा के किसी भी अनुचित उपयोग के संबंध में बैंक को होने वाली सभी हानियों और क्षतियों के लिए आप फेडरल बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे।

शब्दों का अर्थ

Permitted Mobile device का अर्थ है सभी एंड्रॉइड/आईओएस डिवाइस जिनमें टच आईडी फीचर हो और फेस आईडी के लिए एप्पल आईफोन एक्स या उससे ऊपर के मॉडल तथा ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें हम समय-समय पर फेडमोबाइल टच/फेस आईडी लॉगिन सेवा के साथ उपयोग के लिए सक्षम कर सकते हैं, और इनमें वह ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ़्टवेयर भी शामिल है जिस पर डिवाइस चलता है। किसी भी रूटेड या जेलब्रोकन डिवाइस को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा तथा उसके उपयोग के लिये अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)-नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें ("Terms") फेडरल बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) फंड ट्रांसफर और फंड कलेक्शन सुविधा के प्रावधान पर लागू होती हैं और उन्हें नियंत्रित करती हैं। फेडरल बैंक ग्राहक को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा, जो आरबीआई और/या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के दिशानिर्देशों, परिपत्रों और/या नियमों के अनुसार ("दिशानिर्देश") होगा और यह यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन होगा।

परिभाषाएँ

- इस दस्तावेज़ में नीचे दिये गए शब्दों और वाक्यांशों के समक्ष निर्दिष्ट अर्थ लागू होंगे, जब तक संदर्भ कुछ और न दर्शाए।

"खाता(खाते)" का आशय है फेडरल बैंक के साथ रखे और बनाए गए रेजिडेंट भारतीय एवं एनआरआई बचत और/या चालू खाता(खाते) तथा/या रूपे क्रेडिट कार्ड, या भारत के किसी भी बैंक में रखे गए रेजिडेंट बचत और/या चालू खाता(खाते) तथा/या रूपे क्रेडिट कार्ड, जिन्हें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के माध्यम से परिचालन हेतु उपयोग किया जाना है।

"ग्राहक" का अर्थ है वह आवेदक/प्रेषक जो अपने खाता(खातों) के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का लाभ उठा रहा/उठा रही है।

"फेडरल बैंक" का अर्थ है द फेडरल बैंक लिमिटेड, जो कि कम्पनियों अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय फेडरल टावर्स, बैंक जंक्शन, अलुवा, पिन 683 101 में स्थित है (यह अभिव्यक्ति, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारी और असाइनियों को भी शामिल करेगी)।

“व्यापारी/व्यापारियों” का अर्थ होगा और इसमें वे ऑनलाइन, मोबाइल-ऐप आधारित तथा ऑफलाइन व्यापारी शामिल होंगे जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान के बदले वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

“एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सिस्टम” का अर्थ है वह स्विच तथा संबंधित उपकरण और सॉफ्टवेयर जो एनपीसीआई के स्वामित्व में हैं और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित फंड ट्रांसफर तथा फंड कलेक्शन सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें नेशनल फाइनेंशियल स्विच शामिल है;

“Payment Order” का अर्थ है ग्राहक द्वारा लिखित रूप में जारी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को प्रेषित किया गया बिना शर्त निर्देश, जो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा (USSD), बैंक की फेडमोबाईल एप्लिकेशन, बैंक की BHIM Lotza यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) PAY एप्लिकेशन या बैंक द्वारा प्रदान किए गए अन्य माध्यमों के माध्यम से हो, ताकि भारतीय रुपए में व्यक्ति किसी निश्चित राशि के लिए फंड ट्रांसफर क्रियान्वित किया जा सके और ग्राहक के खाता(खातों) को डेबिट करके नामित लाभार्थी के नामित खाते में राशि स्थानांतरित की जा सके।

“PSP (भुगतान सेवा प्रदाता)” का अर्थ उन बैंकों से है जिनके पास ग्राहकों को अधिग्रहित करने और उन्हें भुगतान (क्रेडिट/डेबिट) सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति है।

“UPI” का अर्थ एनपीसीआई द्वारा उसके सदस्य बैंकों के सहयोग से प्रदान की जाने वाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा है।

“यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा” का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा-आधारित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) और फंड संग्रह सुविधा, जो दिशानिर्देशों के अनुसार फेडरल बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाती है।

“यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इंटरनेशनल” का अर्थ है एनपीसीआई (NPCI) द्वारा प्रस्तुत वह प्रक्रिया जो एनपीसीआई (NPCI) द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पारिस्थितिकी तंत्र में नामांकित व्यापारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन (P2M लेन-देन) आरंभ करने हेतु है।

“विदेशी आवक प्रेषण यूपीआई (UPI) के माध्यम से” का अर्थ है एनपीसीआई द्वारा पेश की गई एक सुविधा जिससे यूपीआई मार्ग के माध्यम से विदेश से धन प्राप्त किया जा सके तथा इसके लिये यूपीआई अनुप्रयोग में पंजीकृत यूपीआई आईडी का उपयोग किया जाता है।

भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में, फेडरल बैंक ग्राहकों को एक मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करेगा, जिसमें एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लाइब्रेरीज़ का उपयोग करके भुगतान सुगम किए जाएंगे। भुगतान सेवा प्रदाता मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग फेडरल बैंक के ग्राहक या अन्य बैंक के ग्राहक अपने बैंक खाते में लेन-देन करने के लिए एक बार पंजीकरण प्रक्रिया के बाद कर सकते हैं।

- इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त उन शब्दों या अभिव्यक्तियों के वही संबंधित अर्थ होंगे जो एनपीसीआई द्वारा आवंटित किए गए हैं, यदि उन्हें यहाँ विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

शर्तों की प्रयोज्यता

प्रत्येक ग्राहक जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का लाभ उठाना चाहता/चाहती है, उसे फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित रूप, प्रकार और सामग्री में एक-बार पंजीकरण के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के लिए आवेदन करना होगा, और फेडरल बैंक को अपने एकमात्र विवेकानुसार ऐसे आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ग्राहक फेडमोबाईल डाउनलोड करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है।

रेजिडेंट भारतीय ग्राहक और एनआरआई (NRI) ग्राहक के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी; यह अनुमति यहाँ दी गई नियम और शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें समय-समय पर एनपीसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/नियमों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।

फेडमोबाईल पर, ग्राहक के पास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से लेन-देन करने का विकल्प होगा, जिसके लिए डिफॉल्ट वर्चुअल भुगतान पता (VPA) मोबाइल फोन नंबर@फेडरल होगा। एप्लिकेशन के भीतर सुझाए गए वर्चुअल भुगतान पतों के आधार पर अतिरिक्त वर्चुअल भुगतान पते बनाए जा सकते हैं

A. फेडरल बैंक खाते एप्लिकेशन के भीतर वर्चुअल भुगतान पतों से लिंक किए जा सकते हैं।

B. ग्राहक एनपीसीआई द्वारा परिभाषित और मानकीकृत एक-बार पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य बैंक खाते लिंक कर सकते हैं और फिर उक्त खातों में लेन-देन शुरू कर सकते हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के लिए आवेदन करने और उस तक पहुँच प्राप्त करने पर, ग्राहक ये नियम और शर्तें स्वीकार करता है, जो फेडरल बैंक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के प्रावधान को नियंत्रित करेंगी। ये नियम और शर्तें समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अतिरिक्त होंगी और निर्देशों का अपवर्जन नहीं करेंगी। ग्राहक यह स्वीकार करता है कि उसने दिशानिर्देश पढ़े और समझे हैं, तथा सहमत है कि वहाँ और इन नियम और शर्तों में दिए गए अधिकार और दायित्व, जहाँ तक वे ग्राहक से संबंधित हैं, ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे उन प्रत्येक भुगतान आदेश के संबंध में जो ग्राहक ने एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सिस्टम में निष्पादन हेतु जारी किए हैं। ग्राहक समझता है और सहमत है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का लाभ लेने के संदर्भ में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि इससे एनपीसीआई या एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सिस्टम के किसी भी प्रतिभागी के विरुद्ध फेडरल बैंक के सिवाय कोई संविदात्मक या अन्य अधिकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ दिए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद, फेडरल बैंक द्वारा खातों के संबंध में निर्धारित सभी नियम और शर्तें लागू रहेंगे।

इन शर्तों का एनआरआई (NRI) ग्राहकों पर लागू होना

जिन ग्राहकों की एनआरआई (NRI) स्थिति है, वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:

- एनआरआई ग्राहक जिनके भारतीय मोबाइल फोन नंबर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के साथ पंजीकृत हैं, वे चाहे किसी भी देश में निवास करते हों, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के माध्यम से लेन-देन कर सकेंगे और इसका उपयोग कर सकेंगे।
- एनआरआई (NRI) ग्राहक जिनके पास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा में कोई भारतीय मोबाइल फोन नंबर पंजीकृत नहीं है, वे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा तक पहुँच कर उसमें पंजीकरण कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर निम्नलिखित देश कोडों से शुरू होता हो:

OC 116 में देशों की सूची और देश कोड

सिंगापुर (+65)

कनाडा (+1)

हांगकांग (+852)

ओमान (+968)

कतर (+974)

ऑस्ट्रेलिया (+61)

यूके (+44)

सऊदी अरब (+966)

यूएई (+971)

संयुक्त राज्य अमेरिका (+1)

मलेशिया (+60)

फ्रांस (+33)

उपरोक्त शर्तों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का उपयोग करने के पात्र एनआरआई ग्राहक द्वारा किए गए सभी लेन-देन एमपिन द्वारा प्रमाणीकरण किए जाएंगे और बैंक द्वारा पूर्व-स्वीकृत मार्ग के माध्यम से संसाधित किए

जाएँगे। एनआरआई ग्राहक केवल उन्हीं संपर्कों को भुगतान भेज सकता है जो इस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा पर पंजीकृत हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का दायरा

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा UPI सदस्य बैंकों के ग्राहकों को तत्काल, 24X7, बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) या फंड संग्रह सेवा प्रदान करती है। ग्राहक फेडमोबाइल के माध्यम से अपने किसी भी लिंक किए गए बैंक खाते के लिए सुरक्षित तरीके से फंड ट्रांसफर का अनुरोध कर सकते हैं या फंड संग्रह के अनुरोधों का उत्तर दे सकते हैं। फेडरल बैंक, एक भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में, ग्राहकों को भुगतान सुलभ कराने हेतु एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लाइब्रेरीज़ का उपयोग करने वाली एक मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करेगा। PSP मोबाइल एप्लिकेशन ग्राहक(ओं) द्वारा एक बार पंजीकरण प्रक्रिया के बाद खाता(ओं) पर लेन-देन करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

- ऐप के भीतर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाओं की उपलब्धता नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
- फेडरल बैंक के वे खाते जो फेडमोबाइल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से लेन-देन के लिए उपलब्ध हैं, केवल उन खाता योजनाओं तक सीमित होंगे जो मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण के लिए अनुमत हैं।
- फेडमोबाइल के भीतर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से लेन-देन के लिए उपलब्ध अन्य बैंक खाते जारी करने वाले बैंक पर निर्भर करेंगे तथा NPCI कॉमन लाइब्रेरी के माध्यम से खातों की उपलब्धता के अधीन होंगे।
- एप्लिकेशन के भीतर सभी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन ऐप उपयोगकर्ता के डिफॉल्ट वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पंजीकरण के समय उपयोगकर्ता को डिफॉल्ट वर्चुअल भुगतान पता मोबाइल फोन नंबर@फेडरल के रूप में आवंटित किया जाएगा। यह डिफॉल्ट वर्चुअल भुगतान पता ग्राहक की रुचि के अनुसार बदला/संशोधित किया जा सकता है।
- फेडरल बैंक फेडमोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से व्यापारियों द्वारा किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) कलेक्ट या इंटेड अनुरोधों के जरिए व्यापारियों को भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मंडेट, जो फेडरल बैंक खातों का उपयोग करके जारी किए गए हैं, के मामले में, बैंक मंडेट के लिए ब्लॉक की गई निधियों पर लियन लगाएगा।
- यूपीआई (UPI) के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, ग्राहक को एप्लिकेशन के भीतर उस सुविधा को सक्षम करना होगा तथा उस वांछित खाते का चयन करना होगा जिस पर निधियाँ प्राप्त की जानी हैं।
- फेडमोबाइल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण सक्षम करते समय, फेडरल बैंक उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल फोन नंबर, खाता संख्या, आईएफएससी और वर्चुअल भुगतान पता (VPA) अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस भागीदारों के साथ साझा करेगा ताकि आवक प्रेषण सेवा का लाभ लिया जा सके।
- अन्य बैंक के लेन-देन से संबंधित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शिकायतों का समाधान संबंधित बैंक द्वारा किए गए समाधान के अधीन होगा तथा यह NPCI के दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इंटरनेशनल का उपयोग करने के उद्देश्य से, ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा में इच्छित बैंक खाता/खातों को मैनुअल रूप से सक्षम करना होगा।
- ग्राहक द्वारा अंतरराष्ट्रीय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सुविधा अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए सक्षम की जा सकती है। यह ग्राहक द्वारा निर्धारित वैधता अवधि की समाप्ति पर या 90 दिनों की समाप्ति पर या

ग्राहक के विशेष अनुरोध पर अक्षम कर दिया जाएगा। यह अवधि बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में एनपीसीआई के प्रासंगिक निर्देशों के अनुरूप संशोधित की जा सकती है।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इंटरनेशनल के माध्यम से भुगतान करते समय, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का अंतर-करेंसी रूपांतरण एनपीसीआई एपीआई के आधार पर किया जाता है और समतुल्य रु. राशि ग्राहक के खाते से डेबिट कर एनपीसीआई को क्रेडिट की जाएगी। एनपीसीआई इसके अतिरिक्त व्यापारी के साथ निपटान करती है।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इंटरनेशनल के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ("LRS") के अंतर्गत किए जा रहे लेन-देन माने जाएँगे और उस स्कीम में दिए गए सभी दिशानिर्देश ऐसे लेन-देन पर लागू होंगे। ऐसे लेन-देन पर संबंधित आयकर अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर टीसीएस प्रभार्य होगा।

ग्राहक के अधिकार और दायित्व

- ग्राहक, सेवा की अन्य नियम और शर्तों के अधीन, फेडरल बैंक द्वारा निष्पादन हेतु भुगतान आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
- भुगतान आदेश ग्राहक द्वारा फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, जो सभी विवरणों में पूर्ण होगा। ग्राहक यूपीआई (UPI) सुविधा के भुगतान आदेश में दिए गए विवरणों की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा और भुगतान आदेश में किसी भी त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। (iii) यदि बैंक ने भुगतान आदेश को सद्भावना से और ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निष्पादित किया है, तो ग्राहक उस भुगतान आदेश के लिए बाध्य होगा।
- ग्राहक फेडरल बैंक को भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) के रूप में कार्य करने और भुगतान आदेशों के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ग्राहक के खाता(ओं) से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है। ग्राहक यह समझता है कि यद्यपि कई बैंक खाते यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के साथ लिंक किए जा सकते हैं, डेबिट/क्रेडिट लेन-देन केवल डिफॉल्ट खाते से ही किए जा सकते हैं। ग्राहक ऐसे डेबिट/क्रेडिट लेन-देन आरंभ करने से पहले डिफॉल्ट खाता चुन सकते हैं या बदल सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा से लिंक किए जा सकने वाले प्रत्येक खाता अलग यूजरनेम के साथ खोला जा सकता है।
- ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि फेडरल बैंक द्वारा भुगतान आदेश के निष्पादन से पहले/निष्पादन के समय उसके खाता(ओं) में भुगतान आदेश की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध हो। ग्राहक इस द्वारा फेडरल बैंक को अधिकृत करता/करती है कि वह ग्राहक के खाता(खातों) को डेबिट कर सके उन किसी भी दायित्व के लिये, जो ग्राहक द्वारा जारी निर्देशों के निष्पादन हेतु फेडरल बैंक ने ग्राहक की ओर से वहन किये हों। ग्राहक समझता है और सहमत है कि एक बार जब फंड कलेक्शन अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो डिफॉल्ट खाते में स्वतः उन राशियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा जो फंड कलेक्शन अनुरोध में उल्लिखित हो सकती हैं। ग्राहक यह समझता है और सहमत है कि ऐसी राशि एक बार डिफॉल्ट खाता में क्रेडिट हो जाने पर ग्राहक द्वारा वापस/उलट नहीं की जा सकेगी।
- ग्राहक सहमत है कि भुगतान आदेश फेडरल बैंक द्वारा निष्पादित होते ही अपरिवर्तनीय हो जाएगा।
- ग्राहक इस बात से सहमत है कि वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के संबंध में आरबीआई और/या एनपीसीआई के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकार नहीं रखेगा।
- ग्राहक सहमत है कि यदि भुगतान आदेश के अनुसार फंड ट्रांसफर की पूर्ति में कोई देरी होती है या फंड ट्रांसफर के निष्पादन में किसी त्रुटि के कारण कोई हानि होती है, अथवा बैंक के किसी भी कर्मचारी की ओर से हुई त्रुटि, लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण कोई हानि होती है, तो बैंक की देयता केवल निम्न तक सीमित होगी: देरी के मामले में देरी की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा दैनिक रूप से प्रकाशित कॉल मनी रेट पर ब्याज का भुगतान और रिफंड की जाने वाली राशि का रिफंड, साथ ही ग्राहक द्वारा दर्ज शिकायत की तारीख के अनुसार निर्धारित कॉल मनी रेट पर ब्याज, रिफंड की तारीख तक।

- ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का लाभ उठाते समय फेडरल बैंक को लाभार्थी का सही विवरण प्रदान करेगा। ग्राहक उन परिस्थितियों के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा जहाँ उसने गलत लाभार्थी विवरण (जैसे गलत वर्चुअल भुगतान पता, गलत आधार नंबर या गलत मोबाइल फोन नंबर) दर्ज करने के कारण राशि किसी गलत लाभार्थी को स्थानांतरित हो जाती है।
- ग्राहक फेडरल बैंक को उस किसी भी क्षति, दावे या समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा द्वारा जारी भुगतान आदेशों के माध्यम से व्यापारियों से माल/सेवाओं की किसी भी खरीद से उत्पन्न होने वाली हो या उससे संबंधित हो। ग्राहक समझता है और सहमत है कि उन सभी नुकसानों, हानियों और समस्याओं से संबंधित दावा ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध होगा।
- ग्राहक सहमत है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा आरबीआई के मोबाइल बैंकिंग पर दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदान की जा रही है, जो समय-समय पर बदलने के अधीन हैं।
- ग्राहक को किसी भी प्राधिकरण द्वारा—जिसमें परन्तु सीमित नहीं है कोई वैधानिक प्राधिकरण या अधिकारी—उठाई गई किसी भी पूछताछ, प्रश्न या मुद्दे के बारे में फेडरल बैंक को तुरंत सूचित करना होगा, तथा किसी भी शो कॉज़, जब्ती या इसी तरह की कार्रवाई के बारे में शीघ्रता से फेडरल बैंक को सूचित करते हुए ऐसे प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी नोटिस, ज्ञापन या पत्राचार की प्रतियाँ प्रदान करनी होंगी। ग्राहक फेडरल बैंक के पूर्व अनुमोदन और सत्यापन के बिना ऐसे किसी भी प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रतिक्रिया/उत्तर एकतरफा रूप से दायर नहीं करेगा।
- ग्राहक सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से खाता(ओं) में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी रहेगा। ग्राहक सहमत है कि खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने की स्थिति में फेडरल बैंक लेन-देन निर्देश/भुगतान आदेश को अस्वीकार कर देगा।
- यदि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)/मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रयुक्त मोबाइल फोन नंबर में परिवर्तन होता है, तो ग्राहक बैंक के रिकार्ड में नया मोबाइल फोन नंबर अपडेट करेगा ताकि मोबाइल ऑपरेटर द्वारा पुराने नंबर को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देने के कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम किया जा सके। बैंक इस चूक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

फेडरल बैंक के अधिकार और दायित्व

- फेडरल बैंक ग्राहक द्वारा जारी और विधिवत अधिकृत भुगतान आदेश का निष्पादन करेगा, सिवाय यदि: (a) ग्राहक के खाता(ओं) में उपलब्ध राशि पर्याप्त नहीं है या भुगतान आदेश का पालन करने के लिए धन ठीक प्रकार से लागू/उपलब्ध नहीं है; (b) भुगतान आदेश अपूर्ण है या यह सहमत प्रारूप में जारी नहीं किया गया है; (c) बैंक के पास यह मानने का कारण है कि भुगतान आदेश किसी अवैध लेन-देन को अंजाम देने के लिए जारी किया गया है; या (d) भुगतान आदेश NPCI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सिस्टम के तहत निष्पादित नहीं किया जा सकता।
- ग्राहक द्वारा जारी किया गया कोई भी भुगतान आदेश बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा जब तक बैंक ने उसे स्वीकार न कर लिया हो।
- फेडरल बैंक प्रत्येक भुगतान आदेश के निष्पादन के लिए ग्राहक के नामित खाता(ओं) को स्थानांतरित की जाने वाली राशि तथा उस पर देय चार्ज सहित डेबिट करने का हकदार होगा।
- धन हस्तांतरण, धन संग्रह या धन संग्रह अनुरोध के उत्तर की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात्, लेन-देन का उचित रूप से प्रमाणीकृत रिकार्ड फेडरल बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन में खाते के बयान में दर्ज किया जाएगा। यह लेन-देन ग्राहक के बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए खाता के बयान में भी दर्ज किया जाएगा। ग्राहक को फेडरल बैंक से प्राप्त मासिक बयान/रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर भुगतान आदेश के निष्पादन में किसी भी अनियमितता की फेडरल बैंक को सूचित करना होगा। ग्राहक सहमत है कि यदि वह उक्त अवधि के भीतर किसी

असंगति की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो वह भुगतान आदेश के निष्पादन की सटीकता या उसके खाते(ओं) से डेबिट की गई राशि पर विवाद करने का अधिकार नहीं होगा।

- ग्राहक को यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक इस संबंध में एनपीसीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा, जिसमें परंतु सीमित न होकर, एनपीसीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर समय-समाप्त हुए लेन-देन के निपटान की प्रक्रिया भी शामिल है।

निर्देश

ग्राहक बैंक को प्रदान किए गए निर्देशों की जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार है और यदि वे बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तरीके में हों, तो उन्हें यूपीआई सुविधा संचालित करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। फेडरल बैंक पर निर्देशों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि फेडरल बैंक ग्राहक द्वारा जारी किसी भी भुगतान आदेश के क्रियान्वयन को रोकने में असमर्थ रहता है या उसे रोकता नहीं है, तो फेडरल बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक बार ग्राहक द्वारा भुगतान आदेश जारी कर देने के बाद, उसे बाद में ग्राहक द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।

फेडरल बैंक के पास ग्राहक को जानकारी प्रदान करने के निर्देशों का रिकार्ड रखने या उन निर्देशों के सत्यापन के लिए कोई देयता या दायित्व नहीं होगा। फेडरल बैंक बिना किसी कारण का उल्लेख किए निर्देशों का पालन करने से इंकार कर सकता है और उसे किसी भी निर्देश की विवेकशीलता या अन्यथा का आकलन करने का कोई दायित्व नहीं होगा। फेडरल बैंक को यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के संबंध में लेन-देन निलंबित करने का अधिकार है यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि ग्राहक के निर्देश बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि पहुँचाएंगे या बैंक को जोखिम में डालेंगे। फेडरल बैंक ग्राहक से ग्राहक के खाते(खातों) में यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का संचालन जारी रखने से पहले क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

ग्राहक द्वारा दर्ज/जारी किए गए सभी निर्देश, अनुरोध, आदेश और दिशा-निर्देश ग्राहक के निर्णयों पर आधारित हैं और केवल ग्राहक की जिम्मेदारी हैं।

जानकारी साझा करना

ग्राहक फेडरल बैंक को अपने सभी खाता(खाते) और रिकार्ड तक पहुँचने के लिए यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अपरिवर्तनीय और बिना शर्त रूप से अधिकृत करता है। ग्राहक सहमत है कि फेडरल बैंक और इसकी संबद्ध संस्थाएँ (या उनके ठेकेदार) ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी तथा उसके खाता(खाताओं) से संबंधित बैंक के डेटाबेस में उपलब्ध या अन्यथा मौजूद सभी अन्य जानकारी को यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के संबंध में तथा विश्लेषण, क्रेडिट स्कोरिंग और विपणन प्रयोजनों के लिए संचित व संसाधित कर सकती हैं।

दायित्व का अस्वीकरण

फेडरल बैंक ग्राहक को प्रदान की गई यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की वारंटी प्रदान नहीं करता और न ही कोई प्रतिनिधित्व करता है। ग्राहक सहमत एवं स्वीकार करता है कि बैंक उत्तरदायी नहीं होगा और किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, चाहे ऐसी कोई भी हानि प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी हो; और चाहे कोई भी दावा राजस्व की हानि, व्यवसाय में व्यवधान, ग्राहक द्वारा किया गया और बैंक द्वारा संसाधित लेन-देन, बैंक द्वारा ग्राहक के खाता/खातों के संबंध में प्रदान या प्रकटीकरण की गई जानकारी, या किसी भी प्रकार या स्वभाव की कोई भी हानि पर आधारित हो या न हो, और चाहे वह हानि ग्राहक द्वारा सहन की गई हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—यह सभी बैंक द्वारा प्रदान की गई यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के ग्राहक के उपयोग से संबंधित हों। बैंक ग्राहक द्वारा किए जाने के प्रस्तावित लेन-देन को शीघ्रता से निष्पादित और संसाधित करने का प्रयत्न करेगा; तथापि, संचालन प्रणालियों की विफलता या किसी कानून की आवश्यकता सहित, किसी भी कारण से प्रतिक्रिया न देने या प्रतिक्रिया में देरी होने की स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। फेडरल बैंक किसी भी नुकसान, दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो ग्राहक और/या कोई अन्य तीसरा पक्ष यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन के समय-आउट के कारण विफल होने से उठाता/उठाती है, अर्थात् ऐसी स्थिति जहाँ एनपीसीआई या लाभार्थी बैंक से लेन-देन अनुरोध के लिए कोई उत्तर प्राप्त न हो और/या जहाँ लाभार्थी का मोबाइल फोन नंबर या खाता नंबर मौजूद न हो। इसके अतिरिक्त, फेडरल बैंक

किसी भी नुकसान, क्षति और/या दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए गलत लाभार्थी विवरण, मोबाइल फोन नंबर और/या खाता जानकारी के कारण उत्पन्न या परिणामस्वरूप हुआ हो। फेडरल बैंक, इसकी संबद्ध संस्थाएँ, निदेशक, अधिकारी और/या प्रतिनिधि यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के उपयोग के माध्यम से रिकार्ड या खाता/खातों या जानकारी तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहुँच के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। और ग्राहक इस हेतु फेडरल बैंक, इसकी संबद्ध संस्थाएँ, निदेशक तथा अधिकारी के विरुद्ध दायर की गई किसी भी कार्रवाई, मुकदमे या प्रकरण एवं इसके परिणामस्वरूप उसे होने वाली किसी भी हानि, लागत या क्षति के संबंध में पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने और इन्हें हानिरहित रखने के लिए सहमत है। किसी भी परिस्थिति में फेडरल बैंक ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा यदि यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा की पहुँच इच्छित तरीके से उपलब्ध न हो, जिनमें परंतु इन्हीं तक सीमित न होकर प्राकृतिक आपदाएँ, कानूनी प्रतिबंध, दूरसंचार नेटवर्क में त्रुटियाँ या नेटवर्क विफलता, या फेडरल बैंक के नियंत्रण से बाहर कोई अन्य कारण शामिल हैं। यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा का गैरकानूनी या अनुचित उपयोग ग्राहक को वित्तीय चार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराएगा (जिनका निर्धारण फेडरल बैंक द्वारा किया जाएगा) अथवा इससे ग्राहक के लिए यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा निलंबित की जा सकती है। यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के उपयोग से होने वाले लेन-देन से उत्पन्न फेडरल बैंक के सभी रिकार्ड, जिनमें लेन-देन के रिकॉर्ड किए जाने का समय भी शामिल है, लेन-देन की प्रामाणिकता और जानकारी की सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे। दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए तथा किसी भी गलतफहमी को सुधारने के साधन के रूप में, ग्राहक समझता है, सहमत है और बैंक को, बैंक के विवेकानुसार तथा ग्राहक को और कोई पूर्व सूचना दिए बिना, ग्राहक/उपयोगकर्ताओं और बैंक तथा इसके किसी भी कर्मचारी या एजेंट के बीच होने वाली किसी भी या सभी टेलीफोन वार्तालापों की निगरानी और रिकार्ड करने का अधिकार देता है। फेडरल बैंक स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की वारंटी, चाहे प्रत्यक्ष हों, निहित हों या वैधानिक, का अस्वीकार करता है; जिनमें परोक्ष रूप से, पर सीमित नहीं, मर्चेन्टेबिलिटी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता, जानकारी की सटीकता और पूर्णता, तथा यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा में अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी वारंटी शामिल हैं।

क्षतिपूर्ति

ग्राहक अपने खर्च पर फेडरल बैंक, इसके निदेशकों और कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, एजेंटों और संबद्ध संस्थाओं को किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए किसी भी दावा, मुकदमे, कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने, रक्षा करने और बैंक को किसी भी दायित्व से मुक्त रखने के लिए सहमत है, जहाँ तक ऐसा दावा, मुकदमा, कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया यूपीआई (UPI) सुविधा के उपयोग के सन्दर्भ में आधारित हो या उससे उत्पन्न होता हो:

- ग्राहक द्वारा नियम और शर्तों का उल्लंघन;
- ग्राहक द्वारा यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा में किसी भी हटाने, जोड़ने, सम्मिलित करने या संशोधन करने अथवा किसी भी अनधिकृत उपयोग;
- ग्राहक द्वारा यहाँ निहित की गई किसी भी गलत प्रस्तुति अथवा किसी प्रस्तुति या वारंटी का उल्लंघन;
- ग्राहक द्वारा इस करार के अंतर्गत निभाए जाने वाले किसी भी प्रतिज्ञा या दायित्व का कोई भी उल्लंघन;

ग्राहक सहमत है कि वह किसी भी तथा सभी लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करेगा, जिसमें परंतु इन्हीं तक सीमित न होकर उचित कानूनी फीस और ऐसी लागतें शामिल हैं जो उसके विरुद्ध प्रदान की गई हों या अन्यथा उससे संबंधित होकर उसके द्वारा वहन की गई हों या किसी ऐसे दावे, मुकदमे, कार्रवाई या प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हों। ग्राहक इस बात से सहमत है कि किसी भी परिस्थिति में, UPI सुविधा से संबंधित दावों के लिए फेडरल बैंक का कुल दायित्व – चाहे वह अनुबंध के उल्लंघन के कारण हो या अपकृत्य (tort) के कारण, जिसमें लापरवाही भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है – पिछले बारह (12) महीनों के दौरान UPI सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए लेनदेन शुल्क/फीस या प्रतिफल तक ही सीमित रहेगी; इसमें लेनदेन के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि शामिल नहीं होगी।

असाइनमेंट

बैंक को इन नियम और शर्तों के अंतर्गत तथा बैंक के पक्ष में रखी गई किसी भी सुरक्षा (जिसमें सभी गारंटियाँ शामिल हैं) से संबंधित अपने अधिकार और दायित्वों को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को बेचने, असाइन करने,

सिक्वोरिटाइज़ करने या स्थानांतरित करने का अधिकार होगा, और बैंक इसे किसी भी रूप में तथा उन किसी भी नियम और शर्तों पर कर सकता है जैसा बैंक निर्णय ले। ऐसी किसी भी बिक्री, असाइनमेंट, सिक्वोरिटाइजेशन या हस्तांतरण से ग्राहक और सभी अन्य व्यक्तियों अनिवार्य रूप से बाध्य होंगे। ग्राहक, उसके उत्तराधिकारी और असाइनियों इन नियमों से बाध्य हैं। हालाँकि, ग्राहक इन नियम और शर्तों के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित या सौंपने का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।

समाप्ति

ग्राहक किसी भी समय फेडरल बैंक को कम से कम 15 दिनों का अग्रिम लिखित नोटिस देकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा की समाप्ति का अनुरोध कर सकता है। ग्राहक उक्त समाप्ति तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन के लिए जिम्मेदार रहेगा। फेडरल बैंक किसी भी समय, पूरी तरह से या किसी विशिष्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के संदर्भ में, बिना किसी कारण बताए, उक्त सुविधा वापस ले सकता है या समाप्त कर सकता है। फेडरल बैंक पूर्व सूचना के बिना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा को निलंबित या समाप्त कर सकता है यदि ग्राहक ने इन नियमों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है।

सामान्य शर्तें

इन नियम और शर्तों तथा फेडरल बैंक में रखे गए खाता(खातों) के संचालन पर भारत के कानून लागू होंगे। इन नियम और शर्तों से उत्पन्न कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही एर्नाकुलम, भारत में स्थित न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों में लाई जाएगी। फेडरल बैंक, हालाँकि, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार में इन नियम और शर्तों से उत्पन्न किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को किसी अन्य अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच में आरम्भ कर सकती है, और ग्राहक इसके क्षेत्राधिकार के अधीन होने के लिए यहाँ सहमति देता है। इस टर्म्स में क्लॉज़ हेडिंग्स केवल सुविधा हेतु हैं और संबंधित क्लॉज़ के अर्थ को प्रभावित नहीं करते। फेडरल बैंक इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उप-ठेका दे सकता है और एजेंटों को नियुक्त कर सकता है। फेडरल बैंक इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य इकाई को स्थानांतरित या आवंटित कर सकता है। फेडरल बैंक के पास यहाँ वर्णित किसी भी नियम और शर्त में किसी भी समय संशोधन या पूरक जोड़ने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा और जहाँ संभव हो ऐसे परिवर्तनों के लिए पंद्रह दिनों की पूर्व सूचना देने का प्रयास करेगा। नई सेवाओं का उपयोग करने पर ग्राहक को यह माना जाएगा कि उसने परिवर्तित नियम और शर्तें स्वीकार कर ली हैं। इन नियम और शर्तों के तहत सूचनाएँ लिखित रूप में हाथों में सौंपकर, बैंक की वेबसाइट www.federalbank.com पर देकर, या डाक द्वारा ग्राहक द्वारा दिया गया अंतिम पते पर और बैंक के मामले में इसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर भेजकर दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, फेडरल बैंक सामान्य प्रकृति की सूचनाएँ भी प्रकाशित कर सकता है जो सभी ग्राहकों पर लागू होती हैं, किसी अखबार में या इसकी वेबसाइट www.federalbank.com पर। ऐसी सूचनाएँ प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित की गई सूचना के समान प्रभाव रखेंगी। सूचना और निर्देश पोस्ट करने के 7 दिनों के बाद सेवा किए हुए माने जाएंगे, या हाथ-हाथ सुपुर्दगी, केबल, टेलेक्स या फैक्स के मामले में प्राप्ति पर। इन नियम और शर्तों का कोई भी प्रावधान जो किसी न्यायक्षेत्र में प्रतिबंधित या लागू न हो सकने वाला हो, वह उस न्यायक्षेत्र के संदर्भ में प्रतिबंध या लागू न हो सकने की सीमा तक अप्रभावी होगा, परन्तु यह नियम और शर्तों के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा और न ही उस प्रावधान का प्रभाव किसी अन्य न्यायक्षेत्र में प्रभावित करेगा। बैंक को सेट-ऑफ और लियन का अधिकार होगा, चाहे अन्य किसी भी लियन या चार्ज का अस्तित्व क्यों न हो, जो खाता(ओं) में रखे गए डिपॉजिट (जमा राशि) पर वर्तमान तथा भविष्य में लागू हों, किसी भी प्रकार की सभी बकाया राशि की सीमा तक, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा के प्रदान किए जाने और/या ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हों।

नियम और शर्तें- फेडबुक

परिभाषाएँ

बैंक का आशय द फेडरल बैंक लिमिटेड से है, जो कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की परिभाषा के अन्तर्गत एक बैंकिंग कंपनी है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय "फेडरल टावर्स", बैंक जंक्शन, अलुवा 683101, केरल, भारत में स्थित है तथा

इसकी भारत भर में शाखाएँ/कार्यालय हैं। इस शब्द में द फेडरल बैंक लिमिटेड के उत्तराधिकारी और असाइनियों को शामिल किया गया है।

फेडबुक बैंक की डिजिटल पासबुक सेवा का ट्रेड नाम है, जो बैंक के ग्राहकों को मोबाइल फोन के माध्यम से खाता जानकारी तक पहुँच प्रदान करती है।

USER का अर्थ है वह ग्राहक जो बैंक के मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकृत है और बैंक की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु फेडबुक का उपयोग करने के लिए अधिकृत है।

ACCOUNT का अर्थ है उपयोगकर्ता का बचत और/या चालू खाता और/या बैंक द्वारा पात्र खाता के रूप में नामित किसी भी अन्य प्रकार का खाता। इन सभी खातों को प्राइमरी खाते माना जाएंगे। यूजर मुख्य खाता धारक होना चाहिए और मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

व्यक्तिगत जानकारी का अर्थ फेडबुक सेवा के संबंध में प्राप्त यूजर के बारे में जानकारी है।

TERMS का अर्थ है इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट फेडबुक के उपयोग के लिए नियम और शर्तें।

नियम और शर्तों का लागू होना

ये नियम और शर्तें उपयोगकर्ता और बैंक के बीच करार हैं। फेडबुक के लिए आवेदन करने और सेवा तक पहुँचने पर, उपयोगकर्ता इन नियम और शर्तों को स्वीकार करता है। ये शर्तें फेडरल बैंक के साथ ग्राहक के किसी भी खाते से संबंधित नियम और शर्तों के अतिरिक्त होंगी और उनके विरुद्ध नहीं होंगी।

फेडबुक के लिए पंजीकरण

बैंक अपने विवेकानुसार उपयोगकर्ताओं को फेडबुक इंटरनेट ऐप स्टोर्स या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान कर सकता है। ग्राहक वर्तमान में इंटरनेट उपयोगकर्ता होना चाहिए या इंटरनेट तक कानूनी पहुँच रखता हो, तथा इंटरनेट कैसे काम करता है इसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। फेडबुक को पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करके उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस के माध्यम से ऑन-लाइन पंजीकृत किया जाना चाहिए। बैंक उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर फेडबुक मोबाइल पीआईएन को एसएमएस सेवा के माध्यम से अग्रेषित करेगा। बैंक समय-समय पर फेडबुक मोबाइल डिवाइस समर्थन के बारे में सूचित करेगा। हालाँकि, बैंक पर सभी प्रकार के मोबाइल उपकरणों का समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

सक्रियण प्रक्रिया बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर की जाएगी। एक एसएमएस उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर वाले मोबाइल डिवाइस से बैंक के एप्लिकेशन सर्वर पर सत्यापन हेतु आरंभ किया जाएगा। ग्राहक संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा लगाए गए एसएमएस शुल्क को वहन करेगा।

फेडबुक सेवा

बैंक फेडबुक के माध्यम से उपयोगकर्ता को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा, जैसे कि उसके खाते/खातों में शेष के बारे में पूछताछ, लेन-देन के विवरण, खाता का बयान आदि। ये सुविधाएँ बैंक के विवेकानुसार चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएँगी। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर फेडबुक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें सेवाओं को जोड़ना या हटाना शामिल है।

बैंक फेडबुक सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत पहुँच को रोकने हेतु बैंक द्वारा तर्कसंगत रूप से उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए उचित सावधानी बरतेगा।

उपयोगकर्ता फेडबुक या किसी भी संबंधित सेवाओं का किसी भी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी को इसके उपयोग की अनुमति देगा।

फेडबुक पहुँच

उपयोगकर्ता को बैंक द्वारा प्रारंभ में एक एमपिन आवंटित किया जाएगा। उपयोगकर्ता बैंक द्वारा आवंटित एमपिन फेडबुक के माध्यम से बदल सकता है। सुरक्षा उपाय के रूप में उपयोगकर्ता को इसके बाद यथासंभव बार-बार एमपिन बदलना चाहिए।

संयुक्त खाते

फेडबुक सेवा संयुक्त खातों के मामले में केवल प्राथमिक खाता धारक के लिए उपलब्ध होगी।

जानकारी की सटीकता

यदि ग्राहक को फेडबुक के माध्यम से या फेडबुक की किसी भी सेवा के उपयोग द्वारा प्रदान की गई खाता जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ग्राहक यथाशीघ्र बैंक को उस त्रुटि के बारे में सूचित करेगा।

मोबाइल डिवाइस से व्यक्तिगत जानकारी का नुकसान, जो यूजर की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप डिवाइस या दूरसंचार सुरक्षा उल्लंघन के कारण हुआ हो।

यूजर और बैंक का दायित्व

यदि उपयोगकर्ता ने नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है या निम्नलिखित जैसी लापरवाहीपूर्ण क्रियाओं द्वारा नुकसान में योगदान दिया है या नुकसान का कारण बना है, तो फेडबुक खातों में जानकारी के अनधिकृत रूप से साझा करने से उत्पन्न कुछ या सभी नुकसान के लिए उपयोगकर्ता उत्तरदायी होगा:

फेडबुक पिन का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखना

उपयोगकर्ता की कार्यवाहियों के कारण डिवाइस या दूरसंचार सुरक्षा उल्लंघन से मोबाइल डिवाइस से व्यक्तिगत जानकारी का नुकसान।

फेडबुक एमपिन का किसी को, जिसमें बैंक स्टाफ भी शामिल है, खुलासा करना या ऐसे खुलासे को रोकने के लिए सभी यथोचित कदम न उठाना और/या बैंक को ऐसे खुलासे के बारे में यथोचित समय के भीतर सूचित न करना।

फेडबुक खातों में अनधिकृत पहुँच या त्रुटिपूर्ण लेन-देन के बारे में बैंक को उचित समय के भीतर सूचित न करना।

बैंक फेडबुक के उपयोग के माध्यम से ग्राहक की जानकारी के किसी भी अनधिकृत साझा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उस अनधिकृत साझा करने का कारण यूजर के धोखाधड़ी या लापरवाहीपूर्ण आचरण से जुड़ा हो।

बैंक किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा यदि फेडबुक तक पहुँच यूजर को इच्छित तरीके से उपलब्ध न हो, जिसमें परंतु सीमित न होकर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, कानूनी प्रतिबंध, दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट में दोष, नेटवर्क विफलता, बिजली की विफलता, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटि या बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण शामिल हैं। किसी भी परिस्थिति में बैंक को ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रकार की हानि के लिए दायित्व नहीं ठहराया जाएगा, चाहे ऐसी हानियाँ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी हों, और इस बात की परवाह किए बिना कि कोई दावा राजस्व हानि, निवेश, उत्पादन हानि, गुडविल, लाभ की हानि, व्यवसाय में व्यवधान या किसी भी अन्य प्रकृति की हानि पर आधारित है या नहीं, तथा चाहे वह हानि यूजर को हुई हो या किसी अन्य व्यक्ति को।

क्षतिपूर्ति

यूजर बैंक, अन्य ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष को हुई किसी भी हानि तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी दावे या कार्यवाही के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को मुक्त रखेगा, यदि वह किसी भी प्रकार यूजर द्वारा फेडबुक के अनुचित उपयोग का परिणाम हो।

व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण

ग्राहक सहमत है कि बैंक या उसकी संबद्ध कंपनियाँ और/या ठेकेदार उनकी व्यक्तिगत जानकारी को मोबाइल पर या अन्यथा फेडबुक सेवाओं के संबंध में तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के लिए रख सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यह भी सहमत है कि बैंक अन्य संस्थाओं को, कठोर गोपनीयता के साथ, ऐसी “व्यक्तिगत जानकारी” प्रकटीकरण कर सकता है जो यथोचित रूप से आवश्यक हो, जिन कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं:

किसी भी टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क में भागीदारी के लिए

कानूनी निर्देश के अनुपालन में

मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए

धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से

मालिकाना अधिकार

उपयोगकर्ता यह स्वीकार करता है कि फेडबुक सेवा का अंतर्निहित सॉफ्टवेयर तथा फेडबुक तक पहुँचने के लिए आवश्यक अन्य इंटरनेट संबंधित सॉफ्टवेयर संबंधित विक्रेताओं की वैधानिक संपत्ति हैं। बैंक द्वारा फेडबुक तक पहुँच प्रदान करने की अनुमति उपरोक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी स्वामित्व या मालिकाना अधिकार का हस्तांतरण नहीं करेगी।

उपयोगकर्ता फेडबुक के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर में संशोधन, अनुवाद, डिसअसेंबल, डी-कम्पाइल या रिवर्स इंजीनियर करने का प्रयास नहीं करेगा तथा सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई भी व्युत्पन्न उत्पाद नहीं बनाएगा।

नियम और शर्तों में परिवर्तन

बैंक के पास किसी भी नियम और शर्त में कभी भी संशोधन करने या उसे पूरक करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, और जहाँ भी संभव हो ऐसे परिवर्तनों के लिए पंद्रह दिनों की पूर्व सूचना देने का प्रयास करेगा; परंतु वे परिवर्तन जिनका संबंध ब्याज दरों और/या अन्य परिवर्तनों से हो और जो बाजार परिवर्तनों के अधीन हों, उसके लिए यह अपवाद रहेगा। बैंक समय-समय पर फेडबुक के भीतर नई सेवाएँ पेश कर सकता है। नई सुविधाओं की मौजूदगी और उनकी उपलब्धता की सूचना यूजर को जैसे ही वे उपलब्ध हों दी जाएगी। नई फेडबुक सेवाओं पर लागू परिवर्तित नियम और शर्तें उपयोगकर्ता को सूचित की जाएँगी। इन नई सेवाओं का उपयोग करके, उपयोगकर्ता लागू नियम और शर्तों के अधीन होने के लिए सहमत है।

अहस्तांतरणीयता

फेडबुक सुविधा किसी भी परिस्थिति में यूजर को हस्तांतरणीय नहीं है और यह सेवा केवल यूजर द्वारा ही उपयोग की जा सकती है।

फेडबुक सेवा का समापन

बैंक किसी भी समय बिना किसी कारण बताए यूजर को प्रदान की गई फेडबुक सुविधा वापस ले सकता है और इस संबंध में यूजर को कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ता फेडबुक सेवा के रद्द किए जाने से पहले फेडबुक के माध्यम से फेडबुक खाता(ओं) पर किए गए किसी भी लेन-देन के लिए उत्तरदायी रहेगा।

यदि बैंक द्वारा फेडबुक सेवा यूजर द्वारा नियम और शर्तों के उल्लंघन के अलावा किसी कारणवश वापस ले ली जाती है, तो बैंक की दायित्व केवल उक्त अवधि के लिए यूजर से वसूल किए गए, यदि कोई हों, वार्षिक चार्ज की वापसी तक सीमित रहेगी।

उपयोगकर्ता के सभी फेडबुक खातों को बंद करने पर फेडबुक सेवा का स्वचालित समापन हो जाएगा।

बैंक बिना पूर्व सूचना के फेडबुक सुविधाएँ निलंबित या समाप्त कर सकता है यदि उपयोगकर्ता ने इन नियम और शर्तों का कोई उल्लंघन किया है या बैंक को उपयोगकर्ता की मृत्यु, दिवालियापन या कानूनी क्षमता की कमी की जानकारी प्राप्त होती है।

नोटिस

इन नियम और शर्तों के अंतर्गत सूचनाएँ बैंक और ग्राहक द्वारा निम्नलिखित तरीकों से दी जा सकती हैं:

इलेक्ट्रॉनिक रूप से, किसी भी पक्ष के मेलबॉक्स पर। ऐसी सूचनाएँ लिखित मानी जाएँगी।

लिखित में, उन्हें हाथ से सौंपकर या पोस्ट द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया अंतिम पते पर और बैंक के मामले में नीचे उल्लिखित पते पर भेजकर:

द फेडरल बैंक लिमिटेड, फेडबुक सेवाएँ, पंजीकृत कार्यालय: अलुवा, केरल, इंडिया 683 101.

इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी वेबसाइट पर फेडबुक के सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होने वाली सामान्य प्रकृति की सूचनाएँ भी प्रकाशित कर सकता है। ऐसी सूचनाओं का प्रभाव प्रत्येक यूजर को व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचना के समान होगा।

शासी कानून

इन नियम और शर्तों के तहत, या इनके अनुसार, पक्षों के अधिकार और दायित्व केवल केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। ये नियम और शर्तें और/या बैंक द्वारा रखे गए उपयोगकर्ता के खातों में होने वाली कार्रवाइयाँ और/या फेडबुक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोग पर भारत गणराज्य के कानून लागू होंगे और किसी अन्य राष्ट्र के कानून लागू नहीं होंगे।

बैंक किसी भी प्रकार की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दायित्व स्वीकार नहीं करता है जो भारत गणराज्य के अलावा किसी भी अन्य देश के कानूनों का अनुपालन न करने से उत्पन्न हो। केवल इस तथ्य से कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में एक उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से फेडबुक सेवा तक पहुँच सकता है, यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि उक्त देश के कानून इन नियम और शर्तों और/या उपयोगकर्ता के फेडबुक खातों में होने वाले संचालन और/या फेडबुक के उपयोग को शासित करते हैं।

सामान्य

इस करार में धाराओं के शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और संबंधित धारा के अर्थ को प्रभावित नहीं करते।

उपयोगकर्ता यह करार किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। बैंक इस करार के तहत अपनी किसी भी दायित्व का निर्वहन कराने के लिए उप-ठेका दे सकता है और एजेंट नियुक्त कर सकता है। बैंक इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी अन्य व्यक्ति/कंपनी को हस्तांतरित या असाइन कर सकता है।

फेडमोबाईल के माध्यम से खाता खोलना

यह सुविधा केवल रेज़िडेंट भारतीय व्यक्तियों के लिए बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है। फेडबुक के माध्यम से खाता ऑन-लाइन खोलने की प्रक्रिया ऑन-लाइन आवेदन फॉर्म में बताई गई है। यहाँ शामिल किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग करके बचत खाता नहीं खोल सकता।

ऑनलाइन आवेदन भरने पर नए उपयोगकर्ता को आवंटित खाता संख्या किसी भी अनधिकृत लेन-देन से बचाने हेतु डेबिट प्रीज़ स्थिति में रखी जाएगी। सभी खाता खोलने की औपचारिकताएँ पूर्ण होने और खाता सक्रिय होने के बाद खाता में लेन-

देन की अनुमति दी जाएगी। यदि नया उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेज बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होते हैं, तो बैंक के पास नया उपयोगकर्ता का आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार होगा और बैंक उस खाते में नया उपयोगकर्ता द्वारा डिपॉजिट (जमा) की गई किसी भी राशि पर, यदि कोई हो, ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा ऐसी डिपॉजिट (जमा) की गई राशि बैंक द्वारा स्रोत खाता में रिफंड कर दी जाएगी।

यदि नए उपयोगकर्ता ऑनलाइन आवेदन भरने के 30 दिनों के भीतर खाता खोलने की औपचारिकताएँ पूरी करने में विफल रहता है, तो बैंक के पास खाता खोलने के अनुरोध को अस्वीकार करने तथा नए उपयोगकर्ता को प्रदान की गई 'फेड बुक' सुविधा को अक्षम करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, बिना किसी और सूचना के।

नया उपयोगकर्ता बैंक में खोले गए खाते में प्रारंभिक भुगतान केवल किसी अन्य बैंक में अपने नाम से रखे गए खाते से ही करेगा।

यदि बैंक के संज्ञान में आता है या बैंक को यह उचित आशंका है कि न्यू यूजर द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी या दिया गया कोई भी प्रतिनिधित्व गलत/असत्य/भ्रामक है, तो बैंक के पास खाता बंद करने का पूर्ण तथा अवरोधरहित अधिकार होगा।

न्यू यूजर सहमत और स्वीकार करता है कि बैंक अपनी एकमात्र विवेकाधिकार पर और न्यू यूजर को सूचना दिए बिना खाता खोलने की सेवा को बंद/समाप्त/रद्द/संशोधित कर सकता है यदि बैंक के विचार में सेवा का जारी रहना बैंक के हितों के लिए हानिकारक हो, और बैंक खाता बंद होने के कारण न्यू यूजर को हुए किसी भी परिणाम के लिए, जिसमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित न होकर नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है, न्यू यूजर के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

नया उपयोगकर्ता बैंक को किसी भी ऐसे नुकसान/क्षति/व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करेगा तथा बैंक को क्षतिपूर्ति में रखेगा, जो खाता बंद होने के बाद चेकों के बाउंस होने के कारण बैंक को सहना/उठाना पड़ सकता है।

फेडरल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम

अस्वीकरण

Federal Rewards Program तक पहुँच के लिए, हम आपको Loylty Rewardz Mgmt प्रा. लि. द्वारा संचालित वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करेंगे। "एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करने पर, आपको तीसरा पक्ष, लॉयल्टी रिवार्ड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. द्वारा नियंत्रित एक प्लेटफॉर्म पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

"एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करके, आप स्पष्ट रूप से बैंक को रिवॉर्ड मैनेजमेंट संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विवरण लॉयल्टी रिवार्ड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. को प्रकट करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं:

- ग्राहक आईडी

प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ लॉयल्टी रिवार्ड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं। आपका प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का उपयोग अतः प्लेटफॉर्म की सेवाओं के नियम और शर्तों द्वारा शासित होगा, जो <https://www.federalrewards.in/content/terms-conditions> पर उपलब्ध हैं; कृपया इन्हें पढ़कर पुष्टि करें। "एग्री एंड कंटीन्यू" पर क्लिक करने पर माना जाएगा कि आपने उक्त प्लेटफॉर्म के नियम और शर्तों पढ़ लिए हैं और आपने इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कार्ड प्रबंधन (डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करें)

डेबिट के निर्गमन और उपयोग को नियंत्रित करने वाली नियम और शर्तें

<https://www.federalbank.co.in/debitcardrates> पर उपलब्ध हैं, कृपया इन्हें पढ़कर पुष्टि करें। "Agree and Continue" पर क्लिक करने पर यह माना जाएगा कि आपने ग्राहकों को फेडरल बैंक डेबिट कार्ड जारी करने के नियम और शर्तों पढ़ ली हैं और आपने इन्हें स्वीकार कर लिया है।

सेवा शुल्क

सेवा शुल्क और फीस <https://www.federalbank.co.in/rates-and-charges>

फेडमोबाईल के डी-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

कृपया फेडरल बैंक के ग्राहक समर्थन से संपर्क करें; फेडमोबाईल को डीरजिस्टर करने का अनुरोध करने के लिए या तो **1800 425 1155** पर कॉल करें या contact@federalbank.co.in पर ईमेल भेजें। सूचना संदेश: कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण रद्द करने के अनुरोध की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी फेडमोबाईल पहुँच अक्षम कर दी जाएगी। आप द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए सभी अनुसूचित भुगतान रद्द कर दिए जाएंगे।

स्वचालित बिल भुगतान और बिल अनुस्मारक

ये नियम और शर्तें ("Terms") भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) की ऑटो बिल पेमेंट और बिल पेमेंट रिमाइंडर सेवाओं/सुविधाओं के उपयोग को नियंत्रित करती हैं, जो फेडरल बैंक लिमिटेड ("बैंक") द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में नामांकन करके, आप ("ग्राहक") निम्नलिखित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

1. परिभाषाएँ

- a. **'BBPS'** का अर्थ भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, जो कि आरबीआई द्वारा विनियमित और एनपीसीआई द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत बिल भुगतान इकोसिस्टम है।
- b. **'स्वचालित भुगतान'** का अर्थ एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहक के पंजीकृत भुगतान विधि से निर्धारित देय तिथि पर स्वचालित बिल भुगतान की अनुमति देती है।
- c. **'बिल पेमेंट रिमाइंडर'** एक ऐसी सेवा है जो आगामी देय बिलों के बारे में अधिसूचनाएँ प्रदान करती है।
- d. **'बिलर'** का अर्थ है सरकारी एजेंसियाँ, वैधानिक निकाय, कंपनियाँ, कॉर्पोरेट्स, व्यवसाय, सोसाइटियाँ, चैरिटीज़ और अन्य संस्थाएँ जो बिल भुगतान संग्रह के लिए बीबीपीएस के साथ पंजीकृत हैं।
- e. **'पेमेंट मेथड'** का अर्थ ग्राहक के पंजीकृत बैंक खाता है।

2. पात्रता और नामांकन

ग्राहक के पास फेडरल बैंक लिमिटेड में एक सक्रिय खाता होना चाहिए और वे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकृत होना चाहिए। स्वचालित भुगतान में नामांकन के लिए ग्राहक को स्वचालित डेबिट लेन-देन को अधिकृत करना आवश्यक है। ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वचालित भुगतान और अनुस्मारक के लिए प्रदान की गई बिलर विवरण सटीक हों।

3. ऑटोपे सेवा

सक्रिय होने पर, स्वचालित भुगतान ग्राहक द्वारा चयनित आवृत्ति के अनुसार बिल भुगतान स्वतः संसाधित करेगा। ग्राहक को सफल लेन-देन के लिए नियत खाता में पर्याप्त धनराशि बनाए रखनी होगी। बैंक उन पेनल्टी चार्जों के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करेगा जो बिलर द्वारा उन भुगतान विफलताओं के कारण लगाए जाते हैं जो पर्याप्त शेष न होने या गलत विवरण के कारण हुई हों। ग्राहकों को स्वचालित भुगतान लेन-देन से पहले और बाद में अधिसूचनाएँ प्राप्त होंगी।

4. बिल भुगतान रिमाइंडर सेवा

रिमाइंडर सेवा एसएमएस, ईमेल, पुश सुविधा या इन-ऐप अधिसूचनाओं के माध्यम से अलर्ट प्रदान करती है। बैंक अनुस्मारकों के लिए बिलर के डेटा पर निर्भर करता है। इन रिमाइंडर्स की जानकारी की सटीकता बिलर द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करती है। रिमाइंडर प्राप्त करने से बिल भुगतान पूरा होने की गारंटी नहीं मिलती। ग्राहक समय पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

5. भुगतान प्राधिकरण और दायित्व

स्वचालित भुगतान को सक्रिय करने पर, ग्राहक बैंक को बिल भुगतान के लिए निर्धारित भुगतान विधि को डेबिट करने का अधिकार देता है। बैंक गलत बिलर विवरण, भुगतान प्रक्रिया में देरी, या नियंत्रण के बाहर तकनीकी विफलताओं के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्राहक को स्वचालित भुगतान लेन-देन के बाद बिलर से भुगतान की स्थिति सत्यापित करनी चाहिए।

6. संशोधन और रद्दीकरण

ग्राहक निर्धारित भुगतान तिथि से पहले फेडमोबाईल के माध्यम से स्वचालित भुगतान निर्देश संशोधित या रद्द कर सकते हैं। भुगतान आरम्भ होने के पश्चात प्राप्त रद्दीकरण अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बैंक के पास अनुपालन न करने, धोखाधड़ी गतिविधि या नियामक मानदंडों के कारण सेवा को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

बैंक डेटा संरक्षण कानूनों का अनुपालन करता है और ग्राहक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। ग्राहक के लेन-देन का विवरण बिलर्स, बैंक और नियामक प्राधिकरणों के साथ कानून के अनुसार आवश्यक होने पर साझा किया जा सकता है। ग्राहक सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए उत्तरदायी है और किसी भी अनाधिकृत लेन-देन की सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए।

8. दायित्व की सीमा

बैंक निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा:

- ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया बिलर विवरण गलत है।
- सिस्टम डाउनटाइम, नेटवर्क विफलताएँ.
- ग्राहक की लापरवाही के कारण अनधिकृत लेन-देन।
- कोई भी फोर्स मेजोर घटनाएँ.

11. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

ये शर्तें भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी। सेवाओं से उत्पन्न किसी भी विवाद पर एर्नाकुलम की अदालतों का अधिकार क्षेत्र लागू होगा।

12. संशोधन

बैंक के पास पूर्व सूचना के साथ किसी भी समय इन नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। संशोधनों/परिवर्तनों के बाद स्वचालित भुगतान या बिल भुगतान रिमाइंडर सेवाओं का निरंतर उपयोग संशोधित नियम और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।